

120
**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 248/2025**

IN THE MATTER OF:

AMIT MADDHESHIYA

...APPLICANT

Versus

UTTAR PRADESH POLLUTION
CONTROL BOARD & ORS

.....RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply Affidavit of District Magistrate Kushinagar in compliance of order dated 21.05.2025 passed by this Hon'ble Tribunal	
2.	<u>Annexure No. 1</u> A copy of joint inspection committee report dated 17.09.2025	

FILED THROUGH

DATED: 25.09.2025

Ankit Verma

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF UP

A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013

MOB :- 09990804440 [Email-ankit.scngtup@gmail.com](mailto:ankit.scngtup@gmail.com)



देश UTTAR PRADESH

86AE 432798

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN**

ORIGINAL APPLICATION NO. 248/2025

IN THE MATTER OF:

AMIT MADDHESHIYA

....APPLICANT

Versus

UTTAR PRADESH POLLUTION
CONTROL BOARD & ORS

.....RESPONDENT(s)

**REPLY AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE KUSHINAGAR
IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 21.05.2025 PASSED BY
THIS HON'BLE TRIBUNAL**

The Respondent No. 2 herein states as under:

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:



AFFIDAVIT of Mahender Singh Tawar, aged about 37 years, son of Sri Om Prakash Singh Tawar, presently posted as District Magistrate, Kushi Nagar.



(DEPONENT)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 248/2025

IN THE MATTER OF:

AMIT MADDHESHIYA

....APPLICANT

Versus

UTTAR PRADESH POLLUTION
CONTROL BOARD & ORS

.....RESPONDENT(S)



**REPLY AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE
KUSHINAGAR IN COMPLIANCE OF ORDER DATED
21.05.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL**

The Respondent No.02 herein states as under:

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Mahendra Singh Tanwar aged about 37 years, presently posted as District Magistrate -Kushinagar, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under:-

1. That I am the above-mentioned officer of answering Respondent No.02 and is duly competent to file the present affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.
2. That the Deponent has read and understood the contents of the present affidavit. The averments made in the Original Application, which are not specifically admitted hereunder, must be considered to have been denied by the Deponent.
3. That the contents of the present reply affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed there from.
4. That the Deponent is posted as District Magistrate- Kushinagar since April 2025 and is swearing this affidavit in his official capacity.

(Signature)
21/05/25

5. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 21.05.2025 was pleased to issue the following directions: -

".....5 Considering the seriousness of the issue involved in the matter, we also form a Joint Committee comprising of (i) RO, MoEF & CC, Lucknow, (ii) Representative of the Member Secretary, CPCB, (iii) Member Secretary, UPPCB and (iv) District Magistrate, Kushinagar. The District Magistrate, Kushinagar will act as the nodal agency in the Joint Committee....."



That the present response is being filed in respectful compliance of the order dated 21.05.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, in this present Original Application.

6. That the instant Original Application has been filed by the applicant alleging that the brick kilns in District Kushinagar are operating without requisite permissions and in violation of the environmental norms, thereby causing air pollution.
7. That in compliance of order dated 21.05.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, the joint committee constituted inspected all the nine brick kilns on June 23 and 24, 2025.
8. That during the course of inspection, the joint committee observed that the alleged brick kilns were not complying with the citing criteria as prescribed under the Uttar Pradesh Brick Klin (Sitting Criteria For Establishment) Rules 2012. Further out of nine brick kilns, five were operating without consent to operate, where the UPPCB has issued closure order against the five brick kilns under section 31Air (Prevention and Control Pollution) Act 1981.
9. That the report of the joint inspection committee dated 17.09.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-1**

[Handwritten signature]
10/10/25
DCC/25

20. That in the interest of justice, the present reply may be taken on record by this Hon'ble Tribunal.

VERIFICATION

Verified at....., on that the contents of the paras 1 to of this saffidavit are true and correct to the best of my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

[Signature]
24.09.25
DACCAD KUSHINGA

DEPONENT

Identified this Guphalu
Sri Mahendra Singh Tomar D.M. Kushiya
who has signed before me.

[Signature]
24.09.25
DACCAD

KUSHINGA
(SANTOSH KUMAR DWIVEDI)
ADVOCATE

R. No. 3589/2002



UN10

Original Number _____
Solemnly affirmed before me on 24.09.25
at Kushiya by Smt. Mahendras Singh Tomar
the deponent who is identified by Smt. S. A. Dwivedi
I have certified myself by examining the deponent
that he/she understands the contents of this affidavit
which has been read over and explained by me

[Signature]
24.09.25
Kishore Kumar Yadav
NOTARY
Tahasil & Collectorate Campus
Padrauna-Kushinagar

उत्तर प्रदेश शासन
Government of Uttar Pradesh
Identity Card

Sr. No.
303

Group (A)



Name : MAHENDER SINGH TAWAR

Batch : 2015

Cadre : IAS

Card Issue Date : 28.10.2016

Validity Date : 30.06.2048

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

प्रयोगार्थ

मा० न्यायालय

निवास : 307, F.I. GANGASAGAR APARTMENT, NARHI,
LUCKNOW

व्यक्त समूह : O+ मो. 9628600006, 8953587881

आपात दूरभाष : 0522-2238308

केंद्रीय मंत्र विनियम

1. यह परिचय पत्र अहस्तांतरणीय है। तथा सचिवालय में प्रवेश करते समय जांचकर्मियों द्वारा मांग करने पर इसे दिखाना आवश्यक है।
2. परिचय पत्र खोले या छोटी या जलत होने की स्थिति में मुख्य विशेषज्ञ अधिकार को तत्काल इसकी सूचना देनी चाहिए।
3. हेषानिदित अथवा पद त्याग या मान्य अवधि समाप्त होने पर इसे मुख्य विशेषज्ञ कार्यालय को वापस करना अनिवार्य है।
4. आपात स्थिति में उपरोक्त दूरभाष सं. पर सूचित किया जाना चाहिए।



PZ

JOINT COMMITTEE REPORT IN THE MATTER OF

Original Application No. 248 of 2025

Titled as

Amit Maddheshiya Vs UPPCB & Ors.

1.0. Background

The Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi vide order dated 21.05.2025 in the matter of Amit Maddheshiya Versus Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors. has constituted a Joint Committee of RO, MoEF&CC, CPCB, State PCB, UP and District Magistrate, Kushinagar to visit site and submit the report. District Magistrate, Kushinagar will be the nodal agency for coordination and compliance. The copy of reference NGT is annexed as **Annexure-1**.

The relevant part of the order is as follow:

"...5. Considering the seriousness of the issue involved in the matter, we also form a Joint Committee comprising of (i) RO, MoEF&CC, Lucknow, (ii) Representative of the Member Secretary, CPCB, (iii) Member Secretary, UPPCB and (iv) District Magistrate, Kushinagar. The District Magistrate, Kushinagar will act as the nodal agency in the Joint Committee.

6. The Joint Committee will visit the site, ascertain the status of the respondent brick kilns and find out if they are operating with due consent and following the environmental norms and will submit the report before the Tribunal within eight weeks. The Joint Committee will carry out the inspection within three weeks from today.

7. List on 25.09.2025..."

In compliance with said order, a joint committee comprising the following officers has been constituted.

Nominated Committee Members

1. Shri. Mahendra Singh Tanwar, District Magistrate, Kushinagar
2. Dr. A. K. Gupta, Sc. 'E', MoEF&CC, RO, Lucknow
3. Shri Arvind Kumar, Scientist 'C', CPCB, RD Lucknow
4. Shri Ashutosh Chauhan, Regional officer, UPPCB, RO, Gorakhpur

Other Members

During visit following officials were also present:



1. Shri. Abhishek Singh, Mines Officer, Kushinagar
2. Shri. Rammilan Verma, Scientific Assistant, UPPCB, RO, Gorakhpur
3. Shri. Rajnish Kumar Singh, Lab Assistant, UPPCB, RO, Gorakhpur

A copy of the nomination letter from the relevant departments is enclosed in **Annexure 2**.

2.0. Inspection and Monitoring of the Joint Committee:


In compliance with Hon'ble NGT order, the Joint Committee has inspected the following brick kilns in question during June 23-24, 2025:

1. M/s Janta Int Nirmata, Vill- Mahason, Post- Karkhana Mahua, Tehsil-Kasia, Distt- Kushinagar
2. M/s Anil Kumar HUF (PHS Marka), Vill and Post- Deena Patti, Mainpur, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar
3. M/s Radhey Krishna Enterprises, Vill and Post- Kudwa Urf Dilip Nagar, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar
4. M/s R.K.B. Int Udyog (RKB), Vill and Post- Kudwa Urf Dilip Nagar, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar
5. M/s Barister Int Udyog, Vill and Post- Kudwa Urf Dilip Nagar, Tehsil-Kasia, Distt- Kushinagar
6. M/s Jay Ambey Int Udyog, Vill- Gambhirpur, Post- Singhari, Tehsil-Captanganj, Distt- Kushinagar
7. M/s Ravindra Pratap Singh BKO, Vill- Jolahpurwa, Post- Barsaina, Tehsil-Hata, Distt- Kushinagar
8. M/s Shri Ram Singh HUF, Vill- Singha, Post- Kubersthan, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar
9. M/s MaaVindhwasiniIntUdyog, Vill and Post- Kudwa Urf Dilip Nagar, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar

Status of the consent to established (CTE), consent to operate (CTO), Deposit of the regulating fee for mining, and present status of the brick kiln are tabulated, which is attached as **Annexure 3**. Brick kilns wise salient observations are as follows:



Sl	Name of Brick Kiln	Status of CTE	Status of CTO	Charge issued by UP/PCB	Deposit of the regulating fee for mining	Status during Site Inspection
1	M/S Janra Int Nirmata	No	No	15.07.2021	Yes for season 2024-2025	Non-operational due to the end of the firing season 2024-2025
2	M/S Anil Kumar HUF	No	No	16.07.2025	Yes for season 2024-2025	Non-operational due to the end of the firing season 2024-2025
3	M/s Rathey Krishna Enterprises	No	No	16.07.2025	Yes for season 2024-2025	Non-operational due to the end of the firing season 2024-2025
4	M/S R. K. B. Int Udyog	No	No	16.07.2025	Not submitted (as per mining department)	Non-operational due to the end of the firing season 2024-2025
5	M/S Barister Int Udyog	No	No	16.07.2025	Yes for season 2024-2025	Non-operational due to the end of the firing season 2024-2025
6	M/S Jai Ambey Int Udyog	No	Yes, issued on 10.01.2023	01.09.2025	Not submitted (as per mining department)	Non-operational due to the end of the firing season 2024-2025
7	M/S Ravindra Pratap Singh BKO	No	Yes, issued on 10.01.2023	-	Not submitted (as per mining department)	Non-operational due to the end of the firing season 2024-2025
8	M/S Sri Ram Singh HUF	No	Yes, issued on 22.10.2022	01.09.2025	Not submitted (as per mining department)	Non-operational due to the end of the firing season 2024-2025
9	M/s Maav Vindhwasini Int Udyog	No	Yes, issued on 27.04.2023	01.09.2025	Yes for season 2024-2025	Non-operational due to the end of the firing season 2024-2025



2.1. Inspection of M/s Janta Int Nirmata, Vill- Mahason, Post- Karkhana Mahua, Tehsil-Kasia, Distt- Kushinagar:

Joint inspection of M/s Janta Int Nirmata, Vill- Mahason, Post- Karkhana Mahua, Tehsil-Kasia, Distt- Kushinagar has been carried out on 23.06.2025. Observation based on inspection and available office records, as per the referenced Hon'ble NGT order, is as under:

- I. M/s Janta Int Nirmata, Vill- Mahason, Post- Karkhana Mahua, Tehsil-Kasia, Distt- Kushinagar is owned by Shri Anil Mishra.
- II. As per UPPCB, the brick kiln has no Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. In this regard, closure order dated 15.07.2021 under section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, has been issued by UPPCB with a copy to the District Magistrate, Kushinagar, Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police, Kushinagar and the Regional Officer UPPCB, Gorakhpur for compliance with the closure order. A copy of the closure order is enclosed as **Annexure-4**.
- III. As per the mining department, the brick kiln has deposited the regulating fee for mining in the Brick Kiln season 2024-25. Copy of receipt for regulating fee enclosed as **Annexure-5**.
- IV. During the visit, the brick kiln was found non-operational due to the end of the brick kiln firing season 2024-25. However, the kiln was found filled with burned bricks and bricks were also stored in the premises.
- V. The Brick kiln is not based on zig-zag technology, and coal is being used as fuel for brick kiln firing.
- VI. The brick kiln does not have an adequate stack monitoring facility, i.e., a proper platform, porthole, and ladder.
- VII. The internal road within the premises of the brick kilns as well as the link road was unpaved and caused fugitive emissions while movement of vehicle.
- VIII. No proper green belt is developed in the premises of brick kiln.
- IX. During visit representative of brick kiln has not provided NOC from State Ground Water Department for extraction of ground water.
- X. The brick kiln has not installed display board having the information as per CPCB direction dated 23.04.2025.
- XI. The brick kiln is not meeting with the siting criteria prescribed through the guideline notified by State of Uttar Pradesh "The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for



Establishment) Rules, 2012 as well as MoEF&CC Notifications GSR143(E) dated 22.02.2022.

2.2. Inspection of M/s Anil Kumar HUF (PHS Marka), Vill and Post- Deena Patti, Mainpur, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar

Joint inspection of M/s Anil Kumar HUF (PHS Marka), Vill and Post- Deena Patti, Mainpur, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar has been carried out on 23.06.2025. Observation based on inspection and available office records as per referenced Hon'ble NGT order, is as under:

- I. M/s Anil Kumar HUF (PHS Marka), Vill and Post- Deena Patti, Mainpur, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar is owned by Shri Anil Kumar Singh.
- II. As per UPPCB, the brick kiln has no Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. In this regard, a closure order dated 16.07.2025 under section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 has been issued by UPPCB with a copy to District Magistrate, Kushinagar, Superintendent of Police, Kushinagar, Additional Chief Officer, Zila Panchayat, Kushinagar, District Mining Officer, Kushinagar, and Regional Officer UPPCB, Gorakhpur for necessary action. A copy of the closure order is enclosed as **Annexure-6**.
- III. As per the mining department, the brick kiln has deposited the regulating fee for mining in Brick Kiln season 2024-25. Copy of receipt for regulating fee enclosed as **Annexure-7**.
- IV. During the visit, the brick kiln was found non-operational due to the end of the brick kiln firing season 2024-25. However, kiln was found filled with burned bricks and bricks were also stored in the premise.
The Brick kiln is based on zig-zag technology, and coal is being used as fuel for brick kiln firing.
- V. The brick kiln does not have an adequate stack monitoring facility, i.e., a proper platform, porthole, and ladder.
- VII. The internal road within the premises of brick kilns, as well as the link road was unpaved and caused fugitive emissions during the movement of vehicles.
- VIII. No proper green belt is developed in the premises of the brick kiln.
- IX. During the visit representative of the brick kiln has not provided NOC from State Ground Water Department for extraction of ground water.
- X. The brick kiln has not installed display board having the information as per CPCB direction dated 23.04.2025.



- XI. The brick kiln is not meeting with the siting criteria prescribed through the guideline notified by State of Uttar Pradesh "The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012 as well as MoEF&CC Notifications GSR 143(E) dated 22.02.2022.

2.3. Inspection of M/s Radhey Krishna Enterprises, Vill and Post- Kudwa Urf Dilip Nagar, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar

Joint inspection of M/s Radhey Krishna Enterprises, Vill and Post- Kudwa Urf Dilip Nagar, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar has been carried out on 23.06.2025. Observation based on inspection and available office records, as per the referenced Hon'ble NGT order, is as under:

- I. M/s Radhey Krishna Enterprises, Vill and Post- Kudwa Urf Dilip Nagar, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar is owned by Shri Vinay Singh.
- II. As per UPPCB, the brick kiln has no Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. In this regard, a closure order dated 16.07.2025 under section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, has been issued by UPPCB with a copy to District Magistrate, Kushinagar, Superintendent of Police Kushinagar, Additional Chief Officer, Zila Panchayat, Kushinagar, District Mining Officer, Kushinagar, and Regional Officer UPPCB, Gorakhpur for necessary action. A copy of the closure order is enclosed as Annexure-8.

As per the mining department, the brick kiln has deposited the regulating fee for mining in the Brick Kiln season 2024-25. A copy of the receipt for the regulating fee is enclosed as Annexure-9.

During the visit, the brick kiln was found non-operational due to the end of the brick kiln firing season 2024-25. However, the kiln was found filled with burned bricks, and a significant quantity of bricks was also stored in the premises.

- V. The Brick kiln is not based on zig-zag technology, and coal is being used as fuel for brick kiln firing.
- VI. The brick kiln does not have an adequate stack monitoring facility, i.e., a proper platform, porthole, and ladder.
- VII. The internal road within the premises of the brick kilns as well as the link road was unpaved and caused fugitive emissions while movement of vehicle.
- VIII. No proper green belt is developed in the premises of the brick kiln.
- IX. During the visit representative of the brick kiln has not provided NOC from State Ground Water Department for the extraction of ground water.



- X. The brick kiln has not installed display board having the information as per CPCB direction dated 23.04.2025.
- XI. The brick kiln is not meeting the siting criteria prescribed through the guideline notified by State of Uttar Pradesh "The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012 as well as MoEF&CC Notifications GSR 143(E) dated 22.02.2022.

2.4. Inspection of M/s R.K.B. Int Udyog (RKB), Vill and Post- Kudwa Urf Dilip Nagar, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar

Joint inspection of M/s R.K.B. Int Udyog (RKB), Vill and Post- Kudwa Urf Dilip Nagar, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar has been carried out on 23.06.2025. Observation based on inspection and available office records, as per the referenced Hon'ble NGT order is as under:

- I. M/s R.K.B. Int Udyog (RKB), Vill and Post- Kudwa Urf Dilip Nagar, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar is owned by Shri Kashinath Maurya.
- II. As per UPPCB, the brick kiln has no Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. In this regard, closure order dated 16.07.2025 under section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 has been issued by UPPCB with a copy to the District Magistrate, Kushinagar, Superintendent of Police, Kushinagar, Additional Chief Officer, Zila Panchayat, Kushinagar, District Mining Officer, Kushinagar and Regional Officer UPPCB, Gorakhpur for necessary action. A copy of the closure order is enclosed as **Annexure-10**.
- III. As per the mining department, Brick Kiln has not deposited the regulating fee for mining in Brick Kiln season 2024-25.
- IV. During the visit, the brick kiln was found non-operational due to the end of the brick kiln firing season 2024-25. However, the kiln was found filled with burned bricks, and bricks were also stored in the premises.
- V. The Brick kiln is based on zig-zag technology, and coal is being used as fuel for brick kiln firing.
- VI. The brick kiln does not have an adequate stack monitoring facility, i.e., a proper platform, porthole, and ladder.
- VII. The internal road within the premises of brick kilns, as well as the link road was unpaved and caused fugitive emissions during the movement of vehicles.
- VIII. No proper green belt is developed in the premises of the brick kiln.
- IX. During the visit representative of the brick kiln has not provided NOC from the State Ground Water Department for the extraction of groundwater.



- X. The brick kiln has not installed a display board having the information as per CPCB direction dated 23.04.2025.
- XI. The brick kiln is not meeting the siting criteria prescribed through the guideline notified by State of Uttar Pradesh "The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012 as well as MoEF&CC Notifications GSR 143(E) dated 22.02.2022.

2.5. Inspection of M/s Barister Int Udyog, Vill and Post- Kudwa Urf Dilip Nagar, Tehsil-Kasia, Distt- Kushinagar

Joint inspection of M/s Barister Int Udyog, Vill and Post- Kudwa Urf Dilip Nagar, Tehsil-Kasia, Distt- Kushinagar has been carried out on 23.06.2025. Observation based on inspection and available office records as per referenced Hon'ble NGT order is as under:

- I. M/s Barister Int Udyog, Vill and Post- Kudwa Urf Dilip Nagar, Tehsil-Kasia, Distt- Kushinagar is owned by Shri Barister Singh.
- II. As per UPPCB, the brick kiln has no Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. In this regard, closure order dated 16.07.2025 under section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, has been issued by UPPCB with a copy to the District Magistrate, Kushinagar, Superintendent of Police Kushinagar, Additional Chief Officer, Zila Panchayat, Kushinagar, District Mining Officer, Kushinagar, and Regional Officer UPPCB, Gorakhpur for necessary action. A copy of the closure order is enclosed as **Annexure-11**.

As per the mining department, the brick kiln has deposited the regulating fee for mining in Brick Kiln season 2024-25. A copy of the receipt for the regulating fee is enclosed as **Annexure-12**.

During the visit, the brick kiln was found non-operational due to the end of the brick kiln firing season 2024-25. However, the kiln was found filled with burned bricks, and bricks were also stored in the premises.

- V. The Brick kiln is not based on zig-zag technology and coal is being used as fuel for brick kiln firing.
- VI. The brick kiln does not have an adequate stack monitoring facility, i.e., a proper platform, porthole and ladder.
- VII. Internal road within the premise of brick kilns as well as the link road was unpaved and caused fugitive emission while movement of vehicle.
- VIII. No proper green belt is developed in the premise of brick kiln.
- IX. During visit representative of brick kiln has not provided NOC from State Ground Water Department for extraction of ground water.



- X. The brick kiln has not installed display board having the information as per CPCB direction dated 23.04.2025.
- XI. The brick kiln is not meeting the siting criteria prescribed through the guideline notified by State of Uttar Pradesh "The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012 as well as MoEF&CC Notifications GSR 143(E) dated 22.02.2022.

2.6. Inspection of M/s Jay Ambey Int Udyog, Vill- Gambhirpur, Post- Singhari, Tehsil-Captanganj, Distt- Kushinagar

Joint inspection of M/s Jay Ambey Int Udyog, Vill- Gambhirpur, Post- Singhari, Tehsil-Captanganj, Distt- Kushinagar has been carried out on 24.06.2025. Observation based on inspection and available office records as per referenced Hon'ble NGT order, is as under:

- I. M/s Jay Ambey Int Udyog, Vill- Gambhirpur, Post- Singhari, Tehsil-Captanganj, Distt- Kushinagar is owned by Shrimati Dharmawati Devi.
- II. As per UPPCB, conditional consent to operate was issued to the unit on 10.01.2023 which was valid till 31.07.2027, and Show Cause Notice was issued to unit on 31.07.2025 by UPPCB for non-compliance of environmental norms, particularly non-compliance of siting criteria as notified by State of Uttar Pradesh namely "The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012. Further closure order dated 01.09.2025 under section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, has been issued by UPPCB with a copy to the District Magistrate, Kushinagar, Superintendent of Police Kushinagar, Additional Chief Officer, Zila Panchayat, Kushinagar, District Mining Officer, Kushinagar, and Regional Officer UPPCB, Gorakhpur for necessary action. Copy of Show Cause Notice and closure order are enclosed as Annexure-13 & 14.
- III. As per the mining department, the brick kiln has not deposited the regulating fee for mining in the Brick Kiln season 2024-25.
- IV. During the visit, the brick kiln was found non-operational due to the end of the brick kiln firing season 2024-25. However, the kiln was found filled with burned bricks, and bricks were also stored in the premises.
- V. The Brick kiln is not based on zig-zag technology, and coal is being used as fuel for brick kiln firing.
- VI. The brick kiln does not have an adequate stack monitoring facility, i.e., a proper platform, porthole, and ladder.
- VII. The Internal road within the premises of the brick kilns was unpaved and caused fugitive emissions while movement of vehicle movement.



- VIII. No proper green belt is developed in the premises of the brick kiln.
- IX. During the visit representative of the brick kiln has not provided NOC from the State Ground Water Department for the extraction of groundwater.
- X. The brick kiln has not installed a display board having the information as per CPCB direction dated 23.04.2025.
- XI. The brick kiln is not meeting the siting criteria prescribed through the guideline notified by State of Uttar Pradesh "The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012 as well as MoEF&CC Notifications GSR 143(E) dated 22.02.2022.

2.7. Inspection of M/s Ravindra Pratap Singh BKO, Vill- Jolahpurwa, Post- Barsaina, Tehsil-Hata, Distt- Kushinagar

Joint inspection of M/s Ravindra Pratap Singh BKO, Vill- Jolahpurwa, Post- Barsaina, Tehsil-Hata, Distt- Kushinagar has been carried out on 24.06.2025. Observation based on inspection and available office records, as per the referenced Hon'ble NGT order is as under:

- I. M/s Ravindra Pratap Singh BKO, Vill- Jolahpurwa, Post- Barsaina, Tehsil-Hata, Distt- Kushinagar is owned by Shri Ravindra Pratap Singh.
- II. As per UPPCB, conditional consent to operate was issued to the unit on 10.01.2023 which was valid till 31.07.2027 and further Show Cause Notice was issued to unit on 31.07.2025 by UPPCB for non-compliance of environmental norms, particularly non-compliance of siting criteria as notified by State of Uttar Pradesh namely "The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012. Copy of Show Cause Notice is enclosed as **Annexure-15**.
- III. As per the mining department, the brick kiln has not deposited the regulating fee for mining in the Brick Kiln season 2024-25.
- IV. During the visit, the brick kiln was found non-operational due to the end of the brick kiln firing season 2024-25. However, the kiln was found filled with burned bricks, and bricks were also stored in the premises.
- V. The Brick kiln is not based on zig-zag technology, and coal is being used as fuel for brick kiln firing.
- VI. The brick kiln does not have an adequate stack monitoring facility, i.e., a proper platform, porthole, and ladder.
- VII. Internal road within the premises of the brick kilns, as well as the link road was unpaved and caused fugitive emissions while movement of vehicle.
- VIII. No proper green belt is developed in the premise of brick kiln.




- IX. During visit representative of brick kiln has not provided NOC from State Ground Water Department for extraction of ground water.
- X. The brick kiln has not installed display board having the information as per CPCB direction dated 23.04.2025.
- XI. The brick kiln is not meeting the siting criteria prescribed through the guideline notified by State of Uttar Pradesh "The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012 as well as MoEF&CC Notifications GSR 143(E) dated 22.02.2022.

2.8. Inspection of M/s Shri Ram Singh HUF, Vill- Singha, Post- Kubersthan, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar

Joint inspection of M/s Shri Ram Singh HUF, Vill- Singha, Post- Kubersthan, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar has been carried out on 23.06.2025. Observation based on inspection and available office records as per referenced Hon'ble NGT order, is as under:

- I. M/s Shri Ram Singh HUF, Vill- Singha, Post- Kubersthan, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar is owned by Shri Brij Narayan Singh.
- II. As per UPPCB, conditional consent to operate was issued to the unit on 22.10.2022 which was valid till 31.07.2027 and Show Cause Notice was issued to unit on 31.07.2025 by UPPCB for non-compliance of environmental norms, particularly non-compliance of siting criteria as notified by State of Uttar Pradesh namely "The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012. Further closure order dated 01.09.2025 under section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, has been issued by UPPCB with a copy to the District Magistrate, Kushinagar, Superintendent of Police Kushinagar, Additional Chief Officer, Zila Panchayat, Kushinagar, District Mining Officer, Kushinagar, and Regional Officer UPPCB, Gorakhpur for necessary action. Copy of Show Cause Notice and Closure order are enclosed as **Annexure-16 & 17**.
- III. As per the mining department, the brick kiln has not deposited the regulating fee for mining in the Brick Kiln season 2024-25.
- IV. During the visit, the brick kiln was found non-operational due to the end of the brick kiln firing season 2024-25. However, bricks were found stored in the premises.
- V. The Brick kiln is based on zig-zag technology, and coal is being used as fuel for brick kiln firing.
- VI. The brick kiln does not have an adequate stack monitoring facility, i.e., a proper platform, porthole, and ladder.



- VII. The Internal road within the premises of the brick kilns was unpaved and caused fugitive emissions while movement of vehicle.
- VIII. No proper green belt is developed in the premises of the brick kiln.
- IX. During the visit representative of the brick kiln has not provided NOC from the State Ground Water Department for the extraction of groundwater.
- X. The brick kiln has not installed a display board having the information as per CPCB direction dated 23.04.2025.
- XI. The brick kiln is not meeting the siting criteria prescribed through the guideline notified by State of Uttar Pradesh "The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012 as well as the MoEF&CC Notifications GSR 143(E) dated 22.02.2022.

2.9. Inspection of M/s Maa Vindhwasini Int Udyog, Vill and Post- Kudwa Urf Dilip Nagar, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar

Joint inspection of M/s Maa Vindhwasini Int Udyog, Vill and Post- Kudwa Urf Dilip Nagar, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar has been carried out on 23.06.2025. Observation based on inspection and available office records, as per the referenced Hon'ble NGT order, is as under:

- I. M/s Maa Vindhwasini Int Udyog, Vill and Post- Kudwa Urf Dilip Nagar, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar is owned by Shri Madan Pal Singh.
- II. As per UPPCB, conditional consent to operate was issued to the unit on 27.04.2023, which was valid till 31.07.2025 and Show Cause Notice was issued to unit on 31.07.2025 by UPPCB for non-compliance of environmental norms particularly non-compliance of siting criteria as notified by State of Uttar Pradesh namely "The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012. Further closure order dated 01.09.2025 under section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, has been issued by UPPCB with a copy to the District Magistrate, Kushinagar, Superintendent of Police Kushinagar, Additional Chief Officer, Zila Panchayat, Kushinagar, District Mining Officer, Kushinagar, and Regional Officer UPPCB, Gorakhpur for necessary action. Copy of Show Cause Notice and closure order are enclosed as Annexure-18 & 19.
- III. As per the mining department, Brick Kiln has deposited the regulating fee for mining in the Brick Kiln season 2024-25. Copy of receipt for regulating fee enclosed as Annexure-20.
- IV. During the visit, the brick kiln was found non-operational due to the end of the brick kiln firing season 2024-25. However, the kiln was found filled with burned bricks, and bricks were also stored in the premises.
- V. The Brick kiln is not based on zig-zag technology, and coal is being used as fuel for brick kiln firing.



- VI. The brick kiln does not have an adequate stack monitoring facility, i.e., a proper platform, porthole, and ladder.
- VII. The internal road within the premises of brick kilns as well as the link road was unpaved and caused fugitive emissions during the movement of vehicles.
- VIII. No proper green belt is developed in the premises of the brick kiln.
- IX. During visit representative of the brick kiln has not provided NOC from the State Ground Water Department for extraction of ground water.
- X. The brick kiln has not installed display board having the information as per CPCB direction dated 23.04.2025.
- XI. The brick kiln is not meeting the siting criteria prescribed through the guideline notified by State of Uttar Pradesh, "The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012 as well as MoEF&CC Notifications GSR 143(E) dated 22.02.2022.

4.0 Observation Analysis:

- 4.1. It is evident from the above observation that the above nine (09) brick kilns in question are not complying with the siting criteria prescribed through the guideline notified by the State of Uttar Pradesh, "The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012 as well as the MoEF&CC Notifications GSR 143(E) dated 22.02.2022.
- 4.2. Out of 09 brick kilns, 05 brick kilns were operating without consent. UPPCB has issued closure order to these 05 brick kilns under section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, with a copy to District Magistrate, Kushinagar, Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police, Kushinagar, Additional Chief Officer, Zila Panchayat, Kushinagar, District Mining Officer, Kushinagar, and Regional Officer UPPCB, Gorakhpur for compliance with the closure order after joint committee inspection (one closure order before joint committee visit).
- 4.3. UPPCB has issued Show Cause Notice to the remaining 04 brick kilns for non-compliance of environmental norms, particularly non-compliance of siting criteria as notified by the State of Uttar Pradesh, namely "The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012, after joint committee inspection and further UPPCB has issued closure order to these 03 out of 04 brick kilns under section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, with a copy to District Magistrate, Kushinagar, Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police,



Kushinagar, Additional Chief Officer, Zila Panchayat, Kushinagar, District Mining Officer, Kushinagar, and Regional Officer UPPCB, Gorakhpur, for compliance with the closure order.

- 4.4. It is also evident that the local administration, through the mining department, continuously raises and accepts the regulating fee, without examining the validity of the CTO issued by Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB).
- 4.5. In addition to above above-listed 9 brick kilns, several other brick kilns have also been seen and do not fulfill the siting criteria prescribed through the guideline notified by the State of Uttar Pradesh, "The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012, as well as the MoEF&CC Notifications GSR 143(E) dated 22.02.2022.
- 4.6. As per the Uttar Pradesh Brick Kiln (Siting criteria for establishment) Rules, 2012, no license in respect of firing of brick kiln or for mining lease shall be granted by zila Panchayat/concern district administration until & unless a valid permission i.e., consent (NOC) is obtained by the owner of the brick kiln which is to be issues by the state pollution control board.
- 4.7. The Joint Committee was able to access a satellite image dated 13.01.2025, 09.4.2025, 06.01.2024, 22.04.2025 (attached as Annexure-21), which also confirms the finding of joint committee that the aforesaid brick kiln not fulfilled the "The Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012, as well as the MoEF&CC Notifications GSR 143(E) dated 22.02.2022.
- 4.8. Record stated that the closure of seven brick kilns were issued by UPPCB in month of July & September 2025, which was after the joint committee inspection. And one closure was issued in 2021.

5.0. Recommendation:

Based upon observation during the visit and available office records following is recommended:

- 5.1. The State authorities (District Magistrate, Kushinagar, Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police Kushinagar, and Regional Officer UPPCB, Gorakhpur) should ensure the compliance of the closure order issued to these 08 brick kilns under section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 by UPPCB.
- 5.2. No brick kilns should be allowed to operate that do not fulfill the siting criteria prescribed through the guideline notified by the State of Uttar Pradesh, "The Uttar



Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012, as well as the MoEF&CC Notifications GSR 143(E) dated 22.02.2022.

- 5.3. The suggestion to upgrade Uttar Pradesh's Nivesh Mitra portal addresses the regulatory incoherence between the UP Pollution Control Board (UPPCB) and the state mining department regarding brick kiln operations. By integrating their processes, the state can ensure that the mining department only collects its regulating fees after the UPPCB issues a valid Consent to Operate (CTO). This reform aims to enhance government oversight, streamline business processes for compliant operators, and prevent illegal operations.
- 5.4. State authorities (Mining Department) should ensure that no mining activities are carried out by the illegal brick kilns.
- 5.5. Member Secretary (MS), Uttar Pradesh Control Board (UPPCB), may take cognizance of irregularly in the granting of CTO/closure or operated without a valid CTE/CTO of the brick kiln established/operated in the Kushinagar District.
- 5.6. Local Administration may also take cognizance of the above issue and take necessary action against the concern in light of Rule No. 3 & 7 of the Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012.



Name of the Joint Committee members	Signaturer
Shri Ashutosh Chauhan UPPCB, RO, Gorakhpur	
Shri Arvind Kumar Scientist 'C', CPCB, RD Lucknow	 Arvind Kumar 17/02/2022
Dr A. K. Gupta Scientist 'E', MoEF&CC, RO, Lucknow	
Shri Mahendra Singh Tawar District Magistrate, Kushinagar	

Item No. 01

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 248/2025

Amit Maddheshiya

Applicant

Versus

Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 21.05.2025



FORAM:

**HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Applicant:

Mr. Shashank Rai, Ms. Anushi Agrawal, Mr. Rabindra Narayan Mishra,
Mr. Om Parkash Sapra & Mr. Vivek Kumar Yadav, Advocates

ORDER

1. In this original application, applicant has raised a grievance against illegally operating Brick Kilns in Kushinagar District. The plea of the applicant is that these Brick Kilns are operating without obtaining the Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and these Brick Kilns are using the prohibited fuels such as plastic waste, rubber and sugar cane bagasse etc. resulting in the air pollution and harm to the local residents.

2. The counsel for the applicant has also submitted that in respect of the private Brick Kilns though the closure orders were passed for some of the respondent units, yet they are operating in violation of those closure

In support of the plea that without CTE and CTO and inspite of the closure order these Brick Kilns are still operating, he has referred to the photographs which have been placed on record as Annexure A-10 (Page 85 onwards). Learned counsel for the applicant has submitted that the siting criteria has been provided under the Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for Establishment) Rules, 2012 (Annexure A-1) page 45, but this criteria has been violated. He has also referred to the notification dated 22.02.2022 (Page 94) whereby the Environment (Protection) Rules, 1986 have been amended and entry 74 in Schedule-I to the rules has been incorporated providing for the emission and other norms for the Brick Kilns. Submission is that the respondent Brick Kilns are operating in violation of the rules, regulation, norms and also the orders passed by the concerned authorities.

3. The OA raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms.

4. Issue notice to the respondents for filing the reply by way of affidavit. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

5. Considering the seriousness of the issue involved in the matter, we also form a Joint Committee comprising of (i) RO, MoEF & CC, Lucknow, (ii) Representative of the Member Secretary, CPCB, (iii) Member Secretary, UPPCB and (iv) District Magistrate, Kushinagar. The District Magistrate, Kushinagar will act as the nodal agency in the Joint Committee.



7. List on 25.09.2025.

8. A copy of this order along with a copy of the OA be forwarded to the RO, MoEF & CC, Lucknow, Member Secretary, CPCB, Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Kushinagar for compliance.

Prakash Shrivastava, CP

Dr. Afroz Ahmad, EM

May 21, 2025
Original Application No. 248/2025
AS



कार्यालय जिलाधिकारी, कुशीनगर

पत्रांक 877/800A030प्र0प्र0नि0बो0गो0/एन0जी0टी0-2025 दिनांक जून, 19-6-2025

सेवा में

- श्री अरविन्द कुमार, वैज्ञानिक "ग",
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ- 226010
- डॉ० ए०के० गुप्ता, वैज्ञानिक "ई"
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
केन्द्रीय भवन, ग्यारहवां तल, सेक्टर-एच, अलीगंज,
लखनऊ-226024
- क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
महादेव झारखण्डी, आवास विकास कालोनी, कूड़ाघाट,
गोरखपुर।

विषय:- माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं० 248/2025 श्री अमित मद्देशिया बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

माननीय एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नं० 248/2025 श्री अमित मद्देशिया बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत है:-

"..... 5. Considering the seriousness of the issue involved in the matter, we also form a Joint Committee comprising of

- RO, MoEF & CC, Lucknow,
- Representative of the Member Secretary, CPCB,
- Member Secretary, UPPCB,
- District Magistrate, Kushinagar. The District Magistrate, Kushinagar will act as the nodal agency in the Joint Committee.

6. The Joint Committee will visit the site, ascertain the status of the respondent brick kilns and find out if they are operating with due consent and following the environmental norms and will submit the report before the Tribunal within eight weeks. The Joint Committee will carry out the inspection within three weeks from today.

7. List on 25.09.2025.....

उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 के अनुपालन में संयुक्त रूप से जाँच कर निर्धारित अवधि में संयुक्त जांच आख्या प्रस्तुत की जानी है।

(03:00PM)

अतः उपरोक्त के अनुपालन में दिनांक 23-06-2025 को संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु प्रकरण स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें, जिससे कि मा० एन०जी०टी० में प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 के अनुपालन की वांछित संयुक्त जांच आख्या ससमय प्रस्तुत की जा सके।

(महेन्द्र सिंह तंवर)
जिलाधिकारी, कुशीनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, कुशीनगर

पत्रांक 877/800A030प्र0प्र0नि0बो0गो0/एन0जी0टी0-2025 दिनांक जून, 19-6-2025

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ।
- क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

जिलाधिकारी, कुशीनगर।



केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
 क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ Regional Directorate, Lucknow
 (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
 (Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India)

File No. : CM-13011/85/2025-LAW-HO-CPCB-HO / 216

दिनांक : 09/06/2025

सेवा में

जिलाधिकारी
 जिलाधिकारी कार्यालय कुशीनगर,
 कुशीनगर, उत्तरप्रदेश - 274304

विषय: मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर ओ. ए. संख्या 248/2025 "अमित मद्देशिया बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 के अनुपालन में संयुक्त समिति में नामांकन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर ओ. ए. संख्या 248/2025 "अमित मद्देशिया बनाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार मा. अधिकरण ने संयुक्त समिति का गठन किया है। जिलाधिकारी कुशीनगर, समन्वय एवं अनुपालन हेतु नोडल एजेंसी है। उपरोक्त संदर्भ में उक्त संयुक्त समिति में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने हेतु श्री अरविंद कुमार, वैज्ञानिक 'ग' (मो. : 91-92385, ईमेल : arvind.cpcb@gov.in) को नामित किया गया है।



अतः आपसे अनुरोध है कि मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नामित अधिकरण में श्री साथ समन्वय स्थापित करने का कष्ट करें। बैठक / निरीक्षण की तिथि एवं नामित अधिकारी के संबंध में इस कार्यालय अधिसूचना श्रयस्कर होगी।

मलमलक: यथोपरि

भवदीय

क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. प्रभाग प्रभारी, आई. पी. सी. - V प्रभाग, के. प्र. नि. बो., नई दिल्ली : सादा सूचनार्थ।
2. प्रभाग प्रभारी, विधि प्रभाग, के. प्र. नि. बो., नई दिल्ली : सादा सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. नि. बो., गोरखपुर : मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भित आदेश का
4. श्री अरविंद कुमार वैज्ञानिक 'ग' क्षेत्रीय निदेशालय के. प्र. नि. बो., लखनऊ : अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।

(क्षेत्रीय निदेशक)



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024. Phone No : 0522-2326696
Email : roc.lko-mef@nic.in, goimnecfrlko@gmail.com

File No. XXI/ENV/NGT/CC/196/2024/69

Dated: 02.06.2025

By-Email COURT MATTER
URGENT

To

District Magistrate
Khushinagar
Email: dmhus@nic.in

Subject: In compliance of the order of Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in O.A. 248 of 2025, Amit Madhheshiya vs UPPCB & Ors - reg:

I am directed to refer to the above cited subject matter. The Hon'ble NGT was pleased to pass the order dated 21.05.2025. The relevant para read as:

.....5. Considering the seriousness of the issue involved in the matter, we also form a Joint Committee comprising of (i) RO, MoEF & CC, Lucknow, (ii) Representative of the Member Secretary, CPCB, (iii) Member Secretary, UPPCB and (iv) District Magistrate, Kushinagar. The District Magistrate, Kushinagar will act as the nodal agency in the Joint Committee.

6. The Joint Committee will visit the site, ascertain the status of the respondent brick kilns and find out if they are operating with due consent and following the environmental norms and will submit the report before the Tribunal within eight weeks. The Joint Committee will carry out the inspection within three weeks from today.


7. List on 25.09.2025.

8. A copy of this order along with a copy of the OA be forwarded to the RO, MoEF & CC, Lucknow, Member Secretary, CPCB, Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Kushinagar for compliance."

That to comply the above order, undersigned has been nominated on behalf of MoEF&CC, Regional Office, Lucknow. You may contact on email id. rocz.lko-mef@nic.in & Mobile No. 8004923480.

This is for your perusal & further necessary action.


Yours Sincerely


(Dr. A.K. Gupta)
Scientist 'E'

Copy to:

1. **Member Secretary, CPCB, New Delhi.** Email: mccb.cpcb@nic.in
2. **Member Secretary, UPPCB, Lucknow.** Email: mccb.cpcb@nic.in
3. **Regional Director, CPCB, Lucknow** Email: rdlucknow.cpcb@gov.in
4. **Legal Monitoring Cell, MoEF&CC, New Delhi.** Email: lmc.moefcc@gov.in




(Dr. A.K. Gupta)
Scientist 'E'



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

ANNEXURE-04

Ref. No H 63446 / सी-8 / सीओ-632 / ईट भद्रा / बन्दी आदेश / कुशीनगर / 2021

Date 15.07.2021

M/s Janta Int Nirmata, Vill- Mahason, Post- Karkhana, Mahua, Tehsil- Kasia
जनपद-कुशीनगर

पंजीकृत

यह कि संघीय अधिकारी, उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद कुशीनगर की सूची में आपके ईट भद्रों का नाम अंकित है, जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में फिट्टी पत्ती, कोयला का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-2(ए) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 में प्रावधानित है कि -
21. Restrictions on use of certain industrial plants. -
(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant.....

यह कि संघीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद कुशीनगर में राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त कि- किना स्वामि/व्यक्ति संयोजित किये गये अथवा ईट भद्रों की सूची में आपका ईट भद्र भी सम्मिलित है। आपके ईट भद्र उद्योग का उद्योग कृत्य वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपके ईट भद्रों के संयोजन में तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपके ईट भद्रों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा संबंधित की धारा-31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न बन्दी जारी किया जा रहा है -

यह कि आपके ईट भद्रों के संयोजन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
यह कि उक्त अधीकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भद्रों को मिलने वाली वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

Rudraj
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(पृष्ठ-6)

पर्यावरण नियंत्रित को-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. पर्यावरण अधिकारी कुशीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81-7-2021-39(पर्या) / 2014-टी00सी0-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81-7-2021-39(पर्या) / 2014-टी00सी0-1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भद्रों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला पंचायत, स्वयं विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्दिष्ट करने का कष्ट करें।

2. प्रमुख पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81-7-2021-39(पर्या) / 2014-टी00सी0-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81-7-2021-39(पर्या) / 2014-टी00सी0-1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भद्रों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना हेतु अयोग्य कार्यवाही करने का कष्ट करें।

यह कि उक्त अधीकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे तत्काल सम्बन्धित ईट भद्रों को प्राप्त करायें एवं प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(पृष्ठ-8)





ANNEXURE - 04

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No.. 20438 / सी-6/गोर0-226/बन्दी आदेश/18

Dated 21-5-18

सेवा में,

मेसर्स जनता ईट उद्योग,
ग्राम-मदाशोन, महुआवा कारखाना, कसया,
कुशीनगर।

मेसर्स जनता ईट उद्योग, ग्राम-मदाशोन, महुआवा कारखाना, कसया, कुशीनगर द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू आदि का प्रयोग कर ईट का उत्पादन किया जाता है, उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि, मेसर्स जनता ईट उद्योग, ग्राम-मदाशोन, महुआवा कारखाना, कसया, कुशीनगर का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 03.05.2018 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टों फुकाई/संचालन होने के कारण स्थापित ग्रेवटेशनल सेटलिंग चैम्बर का सत्यापन नहीं किया जा सका। ईट भट्टों पलू गैस के उत्सर्जन हेतु 27 मी0 ऊँची पक्की चिमनी स्थापित है। उत्सर्जन के अनुभवण हेतु सीढ़ी तथा पोर्टहोल स्थापित नहीं है।

यह कि, ईट भट्टों द्वारा मिट्टी खनन हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है।

यह कि, ईट भट्टों की स्थापना बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये की गयी है तथा संचालन बोर्ड से बिना सहमति प्राप्त किये किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा आपके द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन-साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि आप के औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोक-थाम हेतु चलाने से रोका जाये।

अतः राज्य बोर्ड द्वारा आपके औद्योगिक संयंत्र मेसर्स जनता ईट उद्योग, ग्राम-मदाशोन, महुआवा कारखाना, कसया, कुशीनगर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अंतर्गत निम्नरूपेण बन्दी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि, आपके औद्योगिक संयंत्र मेसर्स जनता ईट उद्योग, ग्राम-मदाशोन, महुआवा कारखाना, कसया, कुशीनगर के औद्योगिक इकाई के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।

यह कि, सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि आपके उद्योग मेसर्स जनता ईट उद्योग, ग्राम-मदाशोन, महुआवा कारखाना, कसया, कुशीनगर औद्योगिक इकाई की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से विरस्त करते हुए ईट भट्टों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

(प्रमोद मिश्रा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिदिन 30 दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर।
4. जिला खनन अधिकारी, कुशीनगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ईट भट्टों को जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ANNEXURE-06
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदस्य संख्या 30284 / पृष्ठ संख्या- 4 / ईट भट्टा- 33 / वकील अमित / गोरखपुर / 2025 दिनांक 16-7-25
तारीख पंजीकृत

मेसर्स अमित कुमार सिंह एचओएफको (पीओएचओएस) मार्की) ग्राम व पोस्ट-दीनापट्टी तहसील-कसया जनपद-कशीनगर। (गोबाहल गा-9819127056)
यह कि मेसर्स अमित कुमार सिंह एचओएफको (पीओएचओएस) मार्की) ग्राम व पोस्ट-दीनापट्टी तहसील-कसया जनपद-कशीनगर जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा, कसो माल के लगे व कसो मिट्टी एवं कसो का उपयोग कर 20,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपयोगी बर्तित स्थल पर स्थापित है, कसो (प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 2 (ए) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक 110-एम08013/पृष्ठ-8/ईट भट्टा-838/काठमांडू/गोरखपुर / 2025 दिनांक 04.04.2024 के द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टा के दिनांक 08.04.2024 प्रेषित कर दिया गया था। किन्तु ईट भट्टा द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिशिष्ट में राज्य बोर्ड को कोई उत्तर/प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं करता गया है।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.04.2024 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा ईट भट्टा का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 23.08.2025 को किया गया तथा निरीक्षण के समय ईट भट्टा का संचालन कार्य बन्द कर दिया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर की उक्त आज्ञानुसार ईट भट्टा को जियो को-ऑर्डिनेट-28 730110 अक्षांश एवं 83.960480 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के पूर्व दिशा में लगभग 10 कि०मी० की दूरी पर ग्राम-विन्पुर अनुमानित आबादी लगभग 500 है। पश्चिम दिशा में लगभग 12 कि०मी० की दूरी पर ग्राम-अमिनचकपुर अनुमानित आबादी लगभग 3000 है, उत्तर दिशा में लगभग 900 मीटर की दूरी पर ग्राम-दीनापट्टी अनुमानित आबादी लगभग 1500 है। दक्षिण दिशा में लगभग 15 कि०मी० की दूरी पर ग्राम-बस्वा जगत अनुमानित आबादी 800 है, उत्तर-पूर्व दिशा में लगभग 165 मीटर की दूरी पर मेसर्स अमित कुमार सिंह एचओएफको (पीओएचओएस) मार्की) तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगभग 370 मीटर की दूरी पर मेसर्स अमित कुमार सिंह एचओएफको (पीओएचओएस) मार्की) स्थित है। इस प्रकार ईट भट्टा का स्थल 3000 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल संपन्न) नियमावली, 2012 के अनुक्रम नहीं है।


यह कि ईट भट्टा को राज्य बोर्ड से स्थापना एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नहीं किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टा की स्थापना किया जाना कसो (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (पञ्चाससंशोधित) के आज्ञात्मक प्रावधानों का उल्लंघन है।

यह कि उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के पत्र दिनांक 07.07.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस की दृष्टि किये जाने की सतुति आह्वय प्राप्त हुई है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन सन्तुष्टि को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टा के संचालन को रोका जाये।

आत उपयोगी बर्तित स्थलों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की सतुति के दृष्टिगत उद्योग मेसर्स अमित कुमार सिंह एचओएफको (पीओएचओएस) मार्की) ग्राम व पोस्ट-दीनापट्टी तहसील-कसया, जनपद-कशीनगर के विरुद्ध कसो (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (पञ्चाससंशोधित) की धारा-31 ए के अंतर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है।

- यह कि मेसर्स अमित कुमार सिंह एचओएफको (पीओएचओएस) मार्की) ग्राम व पोस्ट-दीनापट्टी तहसील-कसया, जनपद-कशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
- यह कि स्थान अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टा मेसर्स अमित कुमार सिंह एचओएफको (पीओएचओएस) मार्की) ग्राम व पोस्ट-दीनापट्टी तहसील-कसया, जनपद-कशीनगर की छानन अनुक्रा एवं स्थानीय तहसील के तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टा को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।



- पर्यावरण अभियन्ता, पंजारी, पृष्ठ-6
- पर्यावरण अभियन्ता, पंजारी, पृष्ठ-6
- निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- जिलाधिकारी, कुशीनगर।
 - पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
 - अपर मुख्य अधिकारी, जिंसा पंचायत, कुशीनगर।
 - जिला छानन अधिकारी, कुशीनगर।
 - क्षेत्रीय अधिकारी 3000 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से सम्बन्ध स्थापित कर उद्योग को निर्गत बन्दी आदेश का 03 कार्यदिशर में अनुपालन सुनिश्चित कराते अनुपालन अथवा बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

विशेष विवरण पत्रक-3 भाग - 1
 प्रपत्र संख्या / 44 ए (1)
 प्रमाण 477 एवं 478 (अनुसूचित)

दिनांक 20/08/2024

राजस्थान जमा करणी का धारणापत्र

1. धारणापत्र (यदि आवश्यक) और उस नाम पर जारी किया जायगा। (महसूल वही अनुसूचित है) जो धारणा के तहत से धारणापत्र जमा की जा रही है अथवा नहीं जाये।
2. धारणापत्र संकलनपत्र का नाम व मातृ शीर्षक (यदि उपलब्ध हो)।
3. जमा की जा रही धारणापत्र का पूर्ण विवरण (यदि आवश्यक है) तथा जो कि राशि है अथवा किस विवरण के तहत से जमा की जा रही है।
4. धारणापत्र की संख्या (यदि उपलब्ध हो)।
5. धारणापत्र की तिथि (यदि उपलब्ध हो)।
6. धारणापत्रक का पूर्ण विवरण (यदि उपलब्ध हो)।
7. धारणा का 12-डिजिट कोड।

581 पल्लीना
 मालिका - राजा रू रानी

जात - महाशय पीठ - कच्छना
 महाशय तहसील - कच्छना
 जिला - कुशीनगर

महंगा - बीघना वर्ष 2024 का
 विनिधान शुल्क - 15 पाये पर

विनिधान शुल्क	51000 - 00
आवेदन शुल्क	2000 - 00
अतिरिक्त 10%	5100 - 00
महंगा शुल्क	91000 - 00

पत्रक संख्या	0853	म. प्र. संख्या	001302	म. संख्या	01	श्री. संख्या	00	ज. सं. (अनुसूचित)	91100 - 00
								91100 - 00	

धारणापत्र (यदि उपलब्ध है) राजा रू रानी को कच्छना में महंगा का विनिधान शुल्क जमा करने के लिए।
 जिला कुशीनगर के जमापत्र 107/2024

अधिकार प्रमाणपत्र/ धारणापत्र संख्या

धारणापत्र संख्या: 08/18/2024
 दिनांक: 20/08/2024
 जमापत्र संख्या: 107/2024
 धारणापत्र संख्या: 107/2024

(Handwritten Signature)

क. नं. 08/18/2024 312757753



वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

कोषागार प्रपत्र-209 (1)

प्रपत्र संख्या-43 ए (1)

(प्रस्तार 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का वालान फॉर्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा

SBI PADRAUNA

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम

श्री/श्रीमती अनिल कुमार (RPF H.P.F. BKO

2. पता

दीनापुरी त.क. मुराया

मुजफ्फरगढ़

3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)

10-57 No 09AADPHA 5687 LIZH

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)

श्री/श्रीमती समाधान प्रेमजो के अन्तर्गत निजि निजि आका विनिमयन शुल्क वर्ष 2024-25

5. घालान की सकल राशि

13 वाप के अन्तर्गत विनिमयन शुल्क ₹ 152280 =

6. घालान की निबल राशि

फ्लोयन वाप के अन्तर्गत निजि निजि ₹ 15930 =

7. लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर

अवधि पर शुल्क ₹ 2000 =

8. लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट कोड

TOTAL ₹ - 169510 =

0853 अकाई धातु (कान) धातु शुल्क अकाई

102 (कान) अकाई धातु शुल्क, किराया अकाई

01 (कान) धातु शुल्क

जमा लेखा-शीर्षक	प्र. शुल्क शीर्षक	नु. शीर्षक	अ. शीर्षक	वै. शीर्षक	घनत्व (जं. वं.)
0053	00	102	01	00	169510 =
					169510 =



घालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर सहित

जमाकर्ता का हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

KE 26579

घालान संख्या
दिनांक

अंकों में लिखा शब्दों में रुप प्राप्त किया प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/बैंक की मुहर सहित

NOV 2024

169510



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदस्य संख्या
मेजा नं

मेसर्स राधे कृष्णा इण्टरप्राइजेज
ग्राम व पोस्ट-कुडवा उर्फ दिलीप नगर, तहसील-कसया,
जनपद-कुशीनगर। (फोन नं. 70963066)

दिनांक 16-7-25
पंजीकृत

यह कि मेसर्स राधे कृष्णा इण्टरप्राइजेज, ग्राम व पोस्ट-कुडवा उर्फ दिलीप नगर तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर जिले आगे उद्योग कहा जायेगा काले मान के रूप में बालू, मिट्टी एवं धाँसी का प्रयोग कर 20,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, यामु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निबंधन), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (द) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रक एन-एच 09009/यूता-6/ईट नट्टा-841/आयोजना/गोरखपुर / 2025 दिनांक 04/04/2024 के द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा तब ही तब क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टे को दिनांक 08/04/2024 प्रेषण कर दिया गया था। किन्तु ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिचय में राज्य बोर्ड को कोई उत्तर/प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं करता गया है।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 04/04/2024 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा ईट भट्टे का स्थानीय निरीक्षण दिनांक 23/08/2025 को किया गया तथा निरीक्षण के समय ईट भट्टे का संचालन कार्य रुक गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट भट्टे का जियो को-ऑर्डिनेट-28.088254 अक्षांस एवं 83.968812 देशान्तर है। ईट भट्टे स्वतः के पूरव दिशा में लगभग 35 किमी की दूरी पर ग्राम-हल्दा, अनुमति अबादी लगभग 1000 है। पश्चिम दिशा में लगभग 1.9 किमी की दूरी पर ग्राम-बैलवा पसक्यारी स्थित है अनुमति अबादी लगभग 1500 है। उत्तर दिशा में लगभग 780 मीटर की दूरी पर ग्राम-कुडवा उर्फ दिलीप नगर अनुमति अबादी लगभग 1500 है तथा दक्षिण दिशा में लगभग 270 मीटर की दूरी पर मेसर्स बैरिस्टर सिद्ध ईट उद्योग, ग्राम-कुडवा दिलीप नगर स्थित है। इस प्रकार ईट भट्टे का स्वतः उक्त ईट भट्टे (स्थापना हेतु स्वतः मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुसार नहीं है।

यह कि ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापना एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नहीं किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे की स्थापना किया जाना यामु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1981 (स्थापना) के आश्रयक प्रावधानों का उल्लंघन है।

यह कि उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 07/07/2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की सस्तुति आछता प्राप्त हुई है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन सचेतन को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की सस्तुति के दृष्टिगत उद्योग मेसर्स राधे कृष्णा इण्टरप्राइजेज, ग्राम व पोस्ट-कुडवा उर्फ दिलीप नगर, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध यमु (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1981 (स्थापना) अधिनियम की धारा-5, ए के अंतर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है।


1. यह कि मेसर्स राधे कृष्णा इण्टरप्राइजेज, ग्राम व पोस्ट-कुडवा उर्फ दिलीप नगर, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स राधे कृष्णा इण्टरप्राइजेज, ग्राम व पोस्ट-कुडवा उर्फ दिलीप नगर, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर की छानन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

पंचायत अधिवक्ता
पंचरी, यूता-6

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर।
4. जिला छगन अधिकारी, कुशीनगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला पंचायत से सम्बन्ध स्थापित कर उद्योग को निर्गत बन्दी आदेश का 03 कार्यदिवस में अनुपालन सुनिश्चित करके हुए अनुपालन अक्षा बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पंचायत अधिवक्ता
पंचरी, यूता-6



वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

प्रपत्र संख्या-200 (1)

प्रपत्र संख्या-43 ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

- उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा
1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम
2. पता
3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)
5. चालान की सकल राशि
6. चालान की निबल राशि
7. लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/ लेखाशीर्षक की मुहर
8. लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट कोड

S.B.I. पदरौनी
श्री राधे कृष्ण कृष्ण
प्रो. - विद्या सिंह
ग्राम - कुडवा उर्फ दिल्लीपनगर
तहसील - कसबा कुशीनगर 974402
GST No. - 0966JXP50031K12Y
भरवा समाधान योजना के अन्तर्गत
विनिपत्तन शुल्क वर्ष 2024-25
विनिपत्तन शुल्क - 61920 = 00
अतिरिक्त - 7192 = 00
69112 = 00

मुख्य लेखा-शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	सबु-शीर्षक	उप शीर्षक	बीरोवर शीर्षक	चालान (जम्मे में)
0053	00	102	01	00	69112 = 00
					89112 = 00

धनराशि (शब्दों में) श्री. उमेश चंद्र हजारी रु. 69112 के अंश
कार्ड रूप में प्राप्त योग
चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले
आभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

प्रमाण पत्र
जमाकर्ता का हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या 7-3-00-01-DM-36483
शंक



अंशों में से प्राप्त शब्दों में से प्राप्त प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/ बैंक की मुहर सहित

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

प्रपत्र संख्या-43 ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार (भान बैंकिंग)/बैंक का नाम व शाखा.....

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम

डॉ. यशोवर्धन

श्री. रघुवंश गुर्वन

ग्रो. विनय सिंह

ग्रो. कुडवा अर्थ दिवाण नगर

पिन कोड 274402

2. पता

3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)

1432 महीना
GSTN-0965XPS8831K12V

शपथीवर्ष 2024-25

5. चालान की सकल (Gross) राशि

विनियमन 2500 = 10,000/-

6. चालान की निवल (Net) राशि

7. लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर

0853001020100

8. लेखाशीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखाशीर्षक उपमुख्य शीर्षक लघुशीर्षक उपशीर्षक व्यौरेकार शीर्षक धनराशि अंकों में

0	8	5	3	0	0	1	0	2	0	1	0	0

10,000 =
/
10,000 =

धनराशि (अंकों में) ग्रो. 10,000/- (दस हजार मात्र)


चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम श्री. रघुवंश गुर्वन 12-4-25

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या 2300-01 - DM 26482

दिनांक



प्राप्त किया।

जमाकर्ता के हस्ताक्षर बैंक की मुहर सहित



बितीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

एनएन संख्या-43 ए (1)

(धरार 417 एवं 478 केअर)

धनराशु जमा करने का चालान फारु

उपकोषागार (नाम वीकेअर) / वीकेअर का नाम व शाखा.....

1. वलत वकील (पदनाम वदल आवश्यक हूे) वा
सूेखा के नाम से धनराशु जमा वी जा रही हूे
वसका नाम

SBI पारकीना
श्री राहू ठाठुण वृताम
श्री नलनय सुकु
जाम - सुकुवा ठाठुण नलनय-पार
वह - कसया कुशांगार
पलन - 27 4402

2. पता

3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या
(वदल आवश्यक हूे)

GIN- 09GJXPS8831K12V

4. जमा वी वारी धनराशु का पूर्ण ववरण
(धनराशु कलस हूतु जमा वी जा रही हूे तथा तथा
कलस वलभाग के पक्ष में जमा वी जा रही हूे)

अवकी सुमा हान वरी - 2024-25
वलसुपलन शुक्क - 35 000-00
10% अवरलसुत पंजीकरण - 3500-00
आवेदन शुक्क - 2000-00
योग 40500-00

5. चालान वी सकल (Gross) राशु

6. चालान वी नलबल (Net) राशु

7. लेखाशीर्षक का पूर्ण ववरण/लेखाशीर्षक वी मुहर

8. लेखा शीर्षक का 13 डलडल कोड

मुख्य लेखाशीर्षक उपमुख्यशीर्षक लपुशीर्षक उपशीर्षक वीरेवार शीर्षक धनराशु अंको में

0	9	5	3	0	0	1	0	2	0	1	0	0	4	0	5	0	0
													40500				
													/				
													40500				

धनराशु (शब्दों में) 40500-00

चालान में लेखा शीर्षक वी पुष्टल करने वाले
वलभारतीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहल

14/02/2025

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

चालान संख्या

दलनांक

7300/01/3637732

केवल उपकोषागार/वकेअर के प्रयोअरथ


अंको में रु.

शब्दों में रु.

वपुष कलया

वलकलकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार

दलनांक वी मुहर सहल





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

ANNEXURE-10

सदस्य संख्या
130285

पृष्ठ-8 / ईट भट्टा-837 / बन्दी आदेश / गोरखपुर / 2025

दिनांक 16-7-25
पृथीकृत

मेसर्स आर०के०बी० ईट उद्योग (आर०के०बी०)
ग्राम व पोस्ट-कुडवा दिलीप नगर, तहसील-कसबा,
जनपद-कुरीनगर। (सीबीएल नं०-8394830303)

यह कि मेसर्स आर०के०बी० ईट उद्योग (आर०के०बी०) ग्राम व पोस्ट-कुडवा दिलीप नगर, तहसील-कसबा, जनपद-कुरीनगर विसे आगे उद्योग कहा जायेगा, काफी मात्रा के रंग में वायु गिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरीक्षा यंत्रित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (द) के अन्तर्गत एक औद्योगिक शयत्र है।

यह कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक रा०-एच००००८/पृष्ठ-8/ईट भट्टा-841/कसबा/गोरखपुर/2025 दिनांक 04.04.2024 के द्वारा कारण बताओ नोटिस परीकृत काक के मन्त्राल से प्रेषित किया गया था तथा ही साक क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टे को दिनांक 08.04.2024 प्रेषित करा दिया गया था। किन्तु ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिशिष्ट में राज्य बोर्ड को कोई उत्तर/प्रतिक्रान उपलब्ध नहीं कराया गया है।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.04.2024 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा ईट भट्टे को स्थलीय निरीक्षण दिनांक 23.08.2024 को किया गया तथा निरीक्षण के समय ईट भट्टा का संचालन कार्य बन्द पाया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त अध्यानुस्तर ईट भट्टे का किओ को-अडिनिट-28 822567 आका एव 83024867 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के पूरव दिशा में लगभग 12 कि०मी० की दूरी पर ग्राम-अलका पट्टी अनुमानित आबादी लगभग 2000 है। पश्चिम दिशा में लगभग 3.0 कि०मी० की दूरी पर ग्राम-बेलका स्थित है, अनुमानित आबादी लगभग 800 है। उत्तर दिशा में लगभग 700 मीटर की दूरी पर जीत बहादुर टोला स्थित है, ग्राम-कुडवा उर्ध्व दिलीप नगर अनुमानित आबादी लगभग 500 है तथा दक्षिण दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम-तिसई, अनुमानित आबादी 500 स्थित है। इस प्रकार ईट भट्टे का स्थल 3090 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुक्रम नहीं है।

यह कि ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापना एवं संचालन हेतु स्मृति निर्गत नहीं किया गया है। बोर्ड से स्मृति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे की स्थापना किया जाना वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आक्रामक प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 07.07.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पूर्ति किये जाने की संस्तुति आख्या प्राप्त हुई है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन सन्धारन को स्पष्ट वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोक जाये।

अत उपरोक्त यंत्रित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की सारतुति के दृष्टिगत उद्योग मेसर्स आर०के०बी० ईट उद्योग (आर०के०बी०) ग्राम व पोस्ट-कुडवा दिलीप नगर, तहसील-कसबा, जनपद-कुरीनगर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न सूटों आदेश जारी किया जाता है।

- 1 यह कि मेसर्स आर०के०बी० ईट उद्योग (आर०के०बी०), ग्राम व पोस्ट-कुडवा दिलीप नगर, तहसील-कसबा, जनपद-कुरीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
- 2 यह कि स्थान अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स आर०के०बी० ईट उद्योग (आर०के०बी०), ग्राम व पोस्ट-कुडवा दिलीप नगर, तहसील-कसबा, जनपद-कुरीनगर की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय ताइरोरिस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

प्रतिनिधि :- निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, कुरीनगर।
- 2 पुलिस अधीक्षक, कुरीनगर।
- 3 अपर मुख्य अधिकारी, जिला प्रशासक, कुरीनगर।
- 4 जिला खनन अधिकारी, कुरीनगर।
- 5 क्षेत्रीय अधिकारी, उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से सम्बन्ध स्थापित कर उद्योग को निर्गत बन्दी आदेश को 03 कार्बोदिस में अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता
प्रभारी, पृष्ठ-8

पर्यावरण अभियन्ता
प्रभारी, पृष्ठ-8





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

ANNEXURE-II

संख्या 830/286

पत्रांक-8/ ईट मेटल-841/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2025

दिनांक 16-7-25
पंजीकृत

मेसर्स डेरिक्टर सिह इंटर उद्योग,
ग्राम-कुडवा उर्फ दिलीप नगर, पोस्ट-कुडवा,
जनपद-कुशीनगर। (सीआइएन नं०-0302710021)

यह कि मेसर्स डेरिक्टर सिह इंटर उद्योग, ग्राम-कुडवा उर्फ दिलीप नगर, पोस्ट-कुडवा, जनपद-कुशीनगर बिना
अन्य उद्योग कृत जातेमा कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन
के अंतर्गत एक अधिसूचित स्थल पर स्थापित है, तापु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 2 (द)

यह कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं०-एच 09010/पत्रा-8/ईट मेटल-841/2025
/गोरखपुर/2025 दिनांक 04.04.2024 के द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था
तथा साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट मेटल को दिनांक 08.04
2024 धारा उक्त दिया गया था। किन्तु ईट मेटल द्वारा कारण बताओ नोटिस के धरिपत्र में राज्य बोर्ड को कोई
उत्तर/प्रत्युत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.04.2024 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा
ईट मेटल को स्थलीय निरीक्षण दिनांक 23.06.2025 को किया गया तथा निरीक्षण के समय ईट मेटल का संचालन कार्य
बन्द पाया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट मेटल वन जिओ को-ऑर्डिनेट्स-26
696759 अक्षांश एवं 83.938046 देशान्तर है। ईट मेटल स्थल के पूरव दिशा में लगभग 30 कि०मी० की दूरी पर
ग्राम-पुरना, अनुमानित आबादी लगभग 1500 है। पश्चिम दिशा में लगभग 1.0 कि०मी० की दूरी पर ग्राम-दत्तन,
अनुमानित आबादी लगभग 800 है। उत्तर दिशा में लगभग 700 मीटर की दूरी पर ग्राम-गुरभिया अनुमानित आबादी
लगभग 500 है तथा उत्तर दिशा में ही लगभग 270 मीटर की दूरी पर मेसर्स राधे कृष्णा इण्टरप्राइजेज ईट मेटल तथा
दक्षिण दिशा में लगभग 280 मी० की दूरी पर मेसर्स जय मां विन्ध्यवासिनी ईट उद्योग, ग्राम-कुडवा दिलीप नगर स्थित है।
इस प्रकार ईट मेटल का स्थल 30000 ईट मेटल (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुत्प नहीं है।

यह कि ईट मेटल को राज्य बोर्ड से स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुत्प नहीं है। बोर्ड से
सहमति प्राप्त किये बिना ईट मेटल की स्थापना किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981
(पथासंशोधित) के आक्षेपक प्रावधानों का उल्लंघन है।

यह कि उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 07.07
2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति आख्या प्राप्त हुई है।

उत्पन्न जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक
है कि ईट मेटल के संचालन को रोक जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग मेसर्स
डेरिक्टर सिह इंटर उद्योग, ग्राम-कुडवा उर्फ दिलीप नगर, पोस्ट-कुडवा, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण
तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (पथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है:

1. यह कि मेसर्स डेरिक्टर सिह इंटर उद्योग, ग्राम-कुडवा उर्फ दिलीप नगर, पोस्ट-कुडवा, जनपद-कुशीनगर के संचालन
को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि स्थल अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपक ईट मेटल मेसर्स डेरिक्टर सिह इंटर उद्योग, ग्राम-कुडवा
उर्फ दिलीप नगर, पोस्ट-कुडवा, जनपद-कुशीनगर की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेंस का तत्काल प्रभाव से
निरस्त करने हुए ईट मेटल का मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।

प्रतिबन्ध - निम्नांकित की सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. निरीक्षक कुशीनगर।
2. पुलिस अधीक्षक कुशीनगर।
3. उपर मुख्या अधिकारी जिला पंचायत, कुशीनगर।
4. जिला खनन अधिकारी, कुशीनगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी 3050 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला पंचायत से सम्बन्ध
रख कर उद्योग का निर्गत बन्दी आदेश का 03 कार्यालय में अनुपालन सुनिश्चित करवाए अनुपालन आख्या
के द्वारा मुख्यालय प्रेषित करवा सुनिश्चित करे।

पंजीकरण अभियन्ता,
पत्रांक नृत-6

पंजीकरण अभियन्ता,
पत्रांक नृत-6



11/125, Vibhuti Khand, Gumbi Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
E-mail: info@upnctar.in - Web Site: www.upnctar.com

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2
प्रपत्र संख्या-43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार (नान बैंकिंग) / बैंक का नाम व शाखा.....

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम
5.8.7. पदरौना
M/S. वैरिचर सिं. ई. इयांग
श्री. वैरिचर सिं.

2. पता

ग्राम- कुडवा डर्फ दिल्लीपनार
तहसील - कसया, कुशीनार 279402

3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)

POST N. - 09DVMPS7482D12V

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)

अर्का समाधान योजना के अन्तर्गत
वित्तिप्रसन शुल्क वर्ष 2024-25

5. चालान की सकल (Gross) राशि

वित्तिप्रसन शुल्क - 23000 = 00

6. चालान की निवल (Net) राशि

10% अतिरिक्त - 8100 = 00

7. लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर

31,100 = 00

8. लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा शीर्षक उप मुख्य शीर्षक लघु शीर्षक उप शीर्षक ब्यौरेवार शीर्षक धनराशि अंकों में

0	8	5	3	0	0	1	0	2	0	1			31100-00
													31100-00

Kumar Kumar Yadav
Tehsil & District
धनराशि (शब्दों में) श्री. वैरिचर सिं. ई. इयांग

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या 7300-01-PS 84631

दिनांक

प्रभात पाठक
जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

अंकों में रु.

शब्दों में रु.

31100
2024

प्राप्त किया।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार
बैंक की मुहर सहित

द्वितीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

संख्या-2021/171

प्रश्न संख्या-43 ए (1)
(प्रश्न 417 एवं 478 देखिए)

घनराशि जमा करने का प्रमाण पत्र

- 1. बैंक/वित्त संस्थान/बैंक का नाम व शाखा का संख्या को नाम से घनराशि जमा की जा रही है उसका नाम
- 2. पता
- 3. संश्लेषण संख्या/पत्र का नाम व वाट संख्या (यदि आवश्यक हो)
- 4. जमा की जा रही घनराशि का पूर्ण विवरण (घनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस दिवस के पत्र से जमा की जा रही है।)
- 5. शाखा की संख्या सहित
- 6. शाखा की विवरण सहित
- 7. संश्लेषण का पूर्ण विवरण/संश्लेषण की मुहर
- 8. लेखा-विवरण का 13 डिजिट कोड

श्री. वैरिष्ठर सिंह देव उद्योग
श्री. वैरिष्ठर सिंह

पता: कुर्वा डक दिल्ली नगर
सड़की-कमला, कुर्वा नगर 274402
PAN: 010VHPS3402017U
श्री. वैरिष्ठर सिंह के पते पर
विशेषण संख्या 2021-25

15 पत्र का विशिष्ट संख्या - 2021-25

नूतन लेख संख्या: 0853
नूतन पत्र संख्या: 00
कु-संख्या: 162

ज संख्या	श्री. संख्या	घनराशि (रुपये में)
01		30,000
		30,000

घनराशि (रुपये में) श्री. वैरिष्ठर सिंह देव उद्योग
घर

घनराशि में संश्लेषण की पुष्टि करने वाले
विशेषण अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

अंकों में रु 30000
शब्दों में रु
प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोष
बैंक की मुहर सहित



22/01/2025 9816

जमाकर्ता



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक H309/10/वृत्त-8/इंज नदर-888/प्रादेशिक/गोरखपुर/2025

दिनांक 31/09/25

सेवा में

गुरुजी

मेसर्स जय अम्बे इंद्र उद्योग
ग्राम-गम्भीरपुर, पोस्ट-सिधारी, तहसील-कप्तानगंज,
जनपद-कुशीनगर (पीए-708036492)

कह कि मेसर्स जय अम्बे इंद्र उद्योग, ग्राम-गम्भीरपुर, पोस्ट-सिधारी, तहसील-कप्तानगंज, जनपद-कुशीनगर जित्त अम्बे उद्योग
एक जलप्लांट बनाए गए हैं जिनके साथ एक बायु गैरिटी एवं पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट प्रतिदिन को उत्पादन किए जाने हेतु एकलक्ष
रुपित लागत पर स्थापित है बायु प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2 (ए) के अंतर्गत एक औद्योगिक लागत है।
कह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर को एक दिनांक 17.07.2025 (साथ ही सलाह) के मध्यम से उपर्युक्त कारखाने
की निर्माण एवं सततुति आख्या को अनुसार मेसर्स जय अम्बे इंद्र उद्योग, ग्राम-गम्भीरपुर, पोस्ट-सिधारी, तहसील-कप्तानगंज,
जनपद-कुशीनगर का निर्माण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर द्वारा दिनांक 18.07.2025 को किया गया।

कह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की एका अध्याप्तुता इंद्र भट्टे का डिजाई नई-अर्द्धिगदत-268825880 अम्बे
एच 237120002 ईशावर है। ईट भट्टा स्थल के पूरव दिशा में लगभग 650 मीटर की दूरी पर ग्राम खैरवा, अनुमानित आवादी लगभग
850 स्थित है। पश्चिम दिशा में लगभग 600 मीटर की दूरी पर सिधाराण बास इन्डर कलेज स्थित है। उत्तर दिशा में लगभग 600
मीटर की दूरी पर ग्राम कप्तानगंज अनुमानित आवादी लगभग 600 स्थित है। दक्षिण दिशा में लगभग 100 मीटर की दूरी पर ग्राम -
गम्भीरपुर अनुमानित आवादी लगभग 800 स्थित है। एका से स्पष्ट है कि ईट भट्टे का स्थल 15000 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल
कार्यक्रम) नियमवन्ती, 2012 के अनुसार नहीं है।

कह कि उक्त अध्याप्तुता यह भी अध्याप्त करता है कि ईट भट्टे द्वारा दिनांक 10.01.2025 को प्रथम बार सततुति (जल /
बायु) हेतु अर्द्धन किया गया था। अर्द्धन पत्र को साथ कुरतिका सततुति आदेश पत्र (Tempera CTO Certificate) की प्रती अनुमति
की गयी थी जिसके अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के पत्र सं-174728/प्रादेशिक/गोरखपुर/गोरखपुर
(प्रादेशिक/गोरखपुर/अर्द्धन-888)/सीटीओ/बोर्ड/कुशीनगर/2025, दिनांक 10.01.2025 द्वारा गारंटी सततुति (जल/बायु) निर्देश की
गयी थी आ दिनांक 31.07.2027 तक की थी। ईट भट्टा द्वारा अर्द्धन पत्र के साथ प्रस्तुत सीटीओ की प्रती अर्द्धन अर्द्धन,
गोरखपुर द्वारा निर्देश न होने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 18.07.2025 द्वारा सततुति (जल/बायु) निर्देश
कर दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ईट भट्टा मेसर्स जय अम्बे इंद्र उद्योग, ग्राम-गम्भीरपुर, पोस्ट-सिधारी, तहसील-कप्तानगंज,
जनपद-कुशीनगर बायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 (व्याख्यात्मक) के आक्षेपक प्रावधानों के अन्तर्गत के अन्तर्गत
राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर द्वारा पत्र दिनांक 17.07.2025 के मध्यम से ईट भट्टे के विरुद्ध बायु प्रदूषण नियंत्रण तथा
नियंत्रण अधिनियम 1981 (व्याख्यात्मक) की धारा-31ए के अंतर्गत कारण कारखाने नोटिस निर्देश किये जाने की सततुति की गई है।
अर्द्धन जन-स्वास्थ्य एवं बाधक जनहित में जन स्वास्थ्य को लागू बतारन प्रदान करने के लिए यह अर्द्धन है कि ईट
भट्टे के स्थापना को रखा जाये।

अतः उपरोक्त दणित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की सततुति के दृष्टिगत मेसर्स जय अम्बे इंद्र उद्योग,
ग्राम-गम्भीरपुर, पोस्ट-सिधारी, तहसील-कप्तानगंज, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध बायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981
(व्याख्यात्मक) की धारा-31ए के अंतर्गत निम्न कारणों से नोटिस जारी किया जाता है -

- 1. कह कि ज्यों न मेसर्स जय अम्बे इंद्र उद्योग, ग्राम-गम्भीरपुर, पोस्ट-सिधारी, तहसील-कप्तानगंज, जनपद-कुशीनगर के स्थापना
को स्थापना प्रभाव से बन्द कर दिया जाय ?
- 2. कह कि ज्यों न राज्य अधिकाधिकारी से यह अपेक्षा की जाय कि यह आगे ईट भट्टे मेसर्स जय अम्बे इंद्र उद्योग, ग्राम-गम्भीरपुर,
पोस्ट-सिधारी, तहसील-कप्तानगंज, जनपद-कुशीनगर को जारी खत्म अनुमति तथा स्थानीय प्राधिकरण के साथ-साथ अन्य
प्राधिकरण को स्थापना प्रभाव से विरस्त करे ?

उपरोक्त कारणों से नोटिस के साथ ही पूर्ण विवरण के साथ अपना पत्र 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न
होने अथवा सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर ईट भट्टे के विरुद्ध बायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 (व्याख्यात्मक)
की धारा-31ए के अंतर्गत जारी कारण कारखाने नोटिस की सुविधा कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सार ईट भट्टा एवं
उसके माली का होगा।

सहायक -संचोपरि।

सहायक अभियंता,
गम्भीर, (वृत्त-8)

प्रतिनिधि - विभागीय को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
- 2. पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
- 3. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत कुशीनगर।
- 4. जिला स्तरीय अधिकारी, कुशीनगर।
- 5. क्षेत्रीय अधिकारी उद्योग प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से न उक्त जाल सततुति
नोटिस की प्रती ईट भट्टा तथ्यों को प्राप्त कराते हुए पानी एवं पानी का कार्य कराते नोटिस के सम्बन्ध में ईट भट्टे का अध्याप्त
निर्माण कर अर्द्धन एवं अर्द्धन अधिकारी हेतु सुगम सततुति 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित कराया जाय।

रकू प्रती प्राप्त किया
रखर समी

सहायक अभियंता,
गम्भीर, (वृत्त-8)



1/12V, Vidhan Khandi (East) Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720811, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: uppcb@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
 Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522 - 2720764
 Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ संख्या..... वृत्त-6/ईट भट्टा-868/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2025 दि. 09/08/25

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स जय अम्बे ईट उद्योग,
 ग्राम-गम्भीरपुर, पोस्ट-सिंघारी, तहसील-कमानगंज,
 जनपद-कुशीनगर (मो0-7080030492)

यह कि मेसर्स जय अम्बे ईट उद्योग, ग्राम-गम्भीरपुर, पोस्ट-सिंघारी, तहसील-कमानगंज, जनपद-कुशीनगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं0-एच.30910/वृत्त-6/ईट भट्टा-868/का0ब0नो0/गोरखपुर /2025 दिनांक 31.07.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टे को दिनांक 02.08.2025 को प्राप्त करा दिया गया था। किन्तु ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड को कोई उत्तर/प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.07.2025 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 18.08.2025 को किया गया तथा निरीक्षण के समय ईट भट्टा का संचालन कार्य बन्द पाया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट भट्टे का जिओ को-आर्डिनेट्स-26.8625840 अक्षांश एवं 83.7120002 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के पूरब दिशा में लगभग 650 मीटर की दूरी पर ग्राम खैरतवा, अनुमानित आबादी लगभग 600 स्थित है। पश्चिम दिशा में लगभग 690 मीटर की दूरी पर सियाराम दास इण्टर कालेज स्थित है। उत्तर दिशा में लगभग 900 मीटर की दूरी पर ग्राम खभराभार अनुमानित आबादी लगभग 600 स्थित है। दक्षिण दिशा में लगभग 150 मीटर की दूरी पर ग्राम - गम्भीरपुर, अनुमानित आबादी लगभग 500 स्थित है। उक्त से स्पष्ट है कि ईट भट्टे का स्थल उ0प्र0 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नहीं किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे की स्थापना किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा-नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 20.08.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति आख्या प्राप्त हुई है।



अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग मेसर्स जय अम्बे ईट उद्योग, ग्राम-गम्भीरपुर, पोस्ट-सिंघारी, तहसील-कप्तानगंज, जनपद-कुशीनगर के विकसित वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मेसर्स जय अम्बे ईट उद्योग, ग्राम-गम्भीरपुर, पोस्ट-सिंघारी, तहसील-कप्तानगंज, जनपद-कुशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स जय अम्बे ईट उद्योग, ग्राम-गम्भीरपुर, पोस्ट-सिंघारी, तहसील-कप्तानगंज, जनपद-कुशीनगर की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

Digitally signed by
Radhey Shyam
Date: 28-08-2025
परमेश्वर, अभियन्ता,
प्रभारी, वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर।
4. खनन अधिकारी, कुशीनगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उद्योग को निर्गत बन्दी आदेश का 03 कार्यदिवस में अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

१८



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक H/30928/वृत्त-6/ईट भट्टा-885/काठ-80-वी0/गोरखपुर/2025

दिनांक 31/07/25

संज्ञा

गोरखपुरी राम सिंह एच०यू०एफ०

पंजीकृत

ग्राम सिंगहा पी०-कुबेरस्थान तहसील-कसबा

जनपद-कुशीनगर (पी०-)

यह कि राज्य की राम सिंह एच०यू०एफ० ग्राम सिंगहा पी०-कुबेरस्थान तहसील-कसबा जनपद कुशीनगर जिला उत्तर प्रदेश का जमीन का जहाँ गाँव के रूप में बांधू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग पर 20,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किए जाते हैं प्रत्येक मिनट स्थल पर स्थापित है बांधू (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 2 (2) के अन्तर्गत एक औद्योगिक क्षेत्र है।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी गोरखपुर के पत्र दिनांक 17/07/2025 (आयु प्रति सत्यता) के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार नवी निरीक्षण एवं सन्तुष्टि आख्या के अनुसार मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ० ग्राम सिंगहा पी०-कुबेरस्थान तहसील-कसबा जनपद-कुशीनगर का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा दिनांक 16/07/2025 को किया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट भट्टा का जिला का जर्जिनलर-20794799 अक्षांश एव 83.017849 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के पूर्व दिशा में लगभग 1.1 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम इन्ध्या बुजुर्ग अनुमानित आबादी लगभग 700 स्थित है। पश्चिम दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम विष्णुपुर भदवलिछा अनुमानित आबादी 1200 स्थित है। उत्तर दिशा में लगभग 850 मीटर की दूरी पर ग्राम बतरीली बाजार अनुमानित आबादी लगभग 1000 स्थित है। दक्षिण दिशा में लगभग 900 मीटर की दूरी पर ग्राम जमुनिया अनुमानित आबादी लगभग 500 स्थित है। उक्त से स्पष्ट है कि ईट भट्टा का स्थल-आबादी भट्टा (स्थापना) हेतु तत्काल आवश्यक निष्पावनी, 2012 के अनुसूच नहीं है।

यह कि उक्त आख्यानुसार यह भी अवगत किया गया है कि ईट भट्टा द्वारा दिनांक 30/09/2022 को प्रथम बार सन्तुष्टि (जल/वायु) हेतु आवेदन किया गया था। आवेदन पत्र के साथ दूसरे स्थान पर स्थापित एवं स्थापित ईट भट्टा मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ० ग्राम-पीछार विण्डा तहसील-कसबा जनपद कुशीनगर की प्रति अनलाइन आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की गयी थी जिसके अनुसूच में क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के पत्र सं०-168599/यू०पी०पी०सी०वी०/गोरखपुर (यू०पी०पी०पी०सी०वी०-आयु-आ०) /सी०टी०ओ०/बोध/कुशीनगर/2022 दिनांक 22.10.2022 द्वारा दिनांक 31.07.2021 तक सतत सन्तुष्टि (जल/वायु) निर्गत की गयी थी। ईट भट्टा द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत सी०टी०ओ० की प्रति दूसरे स्थान पर स्थापित होने के कारण क्षेत्रीय अधिकारी गोरखपुर द्वारा पत्र दिनांक 15.07.2025 माध्यम से ईट भट्टा की सतत सन्तुष्टि (जल/वायु) की निरस्त कर दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ईट भट्टा मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ० ग्राम सिंगहा पी०-कुबेरस्थान तहसील-कसबा जनपद-कुशीनगर बांधू (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) के अजापक प्राधिकारों के उत्पन्न के फलस्वरूप राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर द्वारा पत्र दिनांक 17/07/2025 के माध्यम से ईट भट्टा के विरुद्ध बांधू (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की सन्तुष्टि की गयी है। अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि ईट भट्टा का संचालन को रोक जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्या एव राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी गोरखपुर की सन्तुष्टि के दृष्टिगत माध्यम श्री राम सिंह एच०यू०एफ० ग्राम सिंगहा पी०-कुबेरस्थान तहसील-कसबा जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध बांधू (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्या न मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ० ग्राम सिंगहा पी०-कुबेरस्थान तहसील-कसबा जनपद-कुशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये?
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपके ईट भट्टा मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ० ग्राम सिंगहा पी०-कुबेरस्थान तहसील-कसबा जनपद-कुशीनगर को जारी खान अनुज्ञा तथा स्वामीय लाइसेंस के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्काल अन्त में निरस्त कर दें।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के सब्धा में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करे उत्तर प्राप्त न होने पर ईट भट्टा के विरुद्ध बांधू (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ईट भट्टा एवं मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ० ग्राम सिंगहा पी०-कुबेरस्थान तहसील-कसबा जनपद-कुशीनगर को जारी खान अनुज्ञा तथा स्वामीय लाइसेंस के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्काल अन्त में निरस्त कर दें।

निम्नांकित निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. जिलाधिकारी कुशीनगर।
2. पुलिस अधीक्षक कुशीनगर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर।
4. जिला खनन अधिकारी कुशीनगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टा स्वामी को प्राप्त करते हुए पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में ईट भट्टा का अन्त में निरीक्षण कर आख्या एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सुरपष्ट सन्तुष्टि 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करे।



पर्यावरण अभियंता, पंभारी, (वृत्त-6)

पर्यावरण अभियंता, पंभारी, (वृत्त-6)

BAJLA
08/08/25



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720820 Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ संख्या.....132194 वृत्त-6/ईट भट्टा-865/बन्दी आदेश/15
दिनांक.....

01/09/24

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०,
ग्राम सिंगहा, पो०-कुबेरस्थान, तहसील-कसया,
जनपद-कुशीनगर (मो०-7408361518)

यह कि मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०, ग्राम सिंगहा, पो०-कुबेरस्थान, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कचे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 30,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।


यह कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं०-एच.30908/वृत्त-6/ईट भट्टा-865/का०ब०नो०/गोरखपुर /2025 दिनांक 31.07.2025 के द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टे को दिनांक 02.08.2024 को प्राप्त करा दिया गया था। किन्तु ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड को कोई उत्तर/प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.07.2025 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 19.08.2025 को किया गया तथा निरीक्षण के समय ईट भट्टा का संचालन कार्य बन्द पाया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट भट्टे का जिओ को-ऑर्डिनेट्स 27.071399 अक्षांश एवं 83.79246 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के पूरब दिशा में लगभग 1/1 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम अमवा बुजुर्ग, अनुमानित आबादी लगभग 700 स्थित है। उत्तर दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम विशुनपुर भटवलिया अनुमानित आबादी 1200 स्थित है। उत्तर दिशा में लगभग 850 मीटर की दूरी पर ग्राम बतरौली बाजार अनुमानित आबादी लगभग 1000 स्थित है। दक्षिण दिशा में लगभग 900 मीटर की दूरी पर ग्राम जमुनिया, अनुमानित आबादी लगभग 500 स्थित है। उक्त से स्पष्ट है कि ईट भट्टे का स्थल उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नहीं किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे की स्थापना किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 20.08.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश जारी किये



जान को सस्तुत आख्या प्राप्त हुइ ह।

अताएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०, ग्राम सिंगहा, पो०-कुबेरस्थान, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है-

1. यह कि मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०, ग्राम सिंगहा, पो०-कुबेरस्थान, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०, ग्राम सिंगहा, पो०-कुबेरस्थान, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

Digitally signed by
Radhey Shyam
Date: 29-08-2025
प्रभारी, वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर।
4. जिला खनन अधिकारी, कुशीनगर।

5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उद्योग को निर्गत बन्दी आदेश का 03 कार्यदिवस में अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

१/८



जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उद्योग को निर्गत बन्दी आदेश का 03 कार्यदिवस में अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।
11/9/25



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक H 30904/वृत्त-6/ईट भट्टा-888/का0म0नी0/गोरखपुर/2025
दिनांक 31/07/25

सला हे

मेसर्स मी कियवासिनी ईट उद्योग, ग्राम-कुडवा उर्फ दिलीप नगर, तहसील-कसगा, जनपद-कुशीनगर (मो-
 यह कि मेसर्स मी कियवासिनी ईट उद्योग, ग्राम-कुडवा उर्फ दिलीप नगर, तहसील-कसगा, जनपद-कुशीनगर जिनके अपने उद्योग
 कहां आयेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त
 जित्त स्थल पर स्थापित है वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ए) के अंतर्गत एक औद्योगिक तंत्र है।
 यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी गोरखपुर के पत्र दिनांक 17.07.2025 (आया प्रति सलगन) के माध्यम से उपरोक्त कसगा
 नदी निरीक्षण एवं संरक्षित आख्या के अनुसार मेसर्स मी कियवासिनी ईट उद्योग, ग्राम-कुडवा उर्फ दिलीप नगर, तहसील-कसगा,
 जनपद-कुशीनगर का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा दिनांक 16.07.2025 को किया गया।
 यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट भट्टे का जित्त को-ऑर्डिनेट्स-26.69449 अक्षांश
 एव 83.936967 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के पूरब दिशा में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम-सियाई अनुमानित आबादी
 लगभग 500 स्थित है। पश्चिम दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम गुरमिया गोपाल टोला अनुमानित आबादी 600 स्थित है।
 उत्तर दिशा में लगभग 900 मीटर की दूरी पर ग्राम कुडवा उर्फ दिलीप नगर अनुमानित आबादी लगभग 800 स्थित है। दक्षिण दिशा में
 लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम- कुडवा उर्फ दिलीप नगर का अक्षयबर टोला अनुमानित आबादी लगभग 250 स्थित है।
 पश्चिम-उत्तर दिशा में लगभग 260 मीटर की दूरी पर मेसर्स कैरिस्टर सिंह ईट उद्योग ग्राम कुडवा उर्फ दिलीप नगर स्थित है। उक्त से
 स्पष्ट है कि ईट भट्टे का स्थल 3090 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुबन्ध नहीं है।
 यह कि उक्त आख्यानुसार यह भी अवगत कराया गया है कि ईट भट्टे द्वारा दिनांक 25.04.2023 को प्रथम बार सहमति
 (जल/वायु) हेतु आवेदन किया गया था। आवेदन पत्र के साथ उसी गांव में स्थित दूसरे ईट भट्टे मेसर्स एसवी०पी० ईट उद्योग, ग्राम
 व पी०- कुडवा उर्फ दिलीप नगर, तहसील- कसगा, जनपद- कुशीनगर की प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की गयी थी
 जिसके अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के पत्र सं०-183116/यू०पी०पी०सी०बी०/गोरखपुर (यू०पी०पी०सी०बी०आर०ओ०)/
 सी०टी०ओ०/बोच/कुशीनगर/2023, दिनांक 27.04.2023 द्वारा दिनांक 31.07.2025 तक सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत की गयी
 थी। ईट भट्टा द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत सी०टी०ओ० की प्रति दूसरे स्थान पर स्थापित होने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय,
 गोरखपुर द्वारा पत्र दिनांक 15.07.2025 के माध्यम ईट भट्टे की सशर्त सहमति (जल/वायु) निरस्त कर दिया गया।
 उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ईट भट्टा मेसर्स मी कियवासिनी ईट उद्योग, ग्राम-कुडवा उर्फ दिलीप नगर तहसील-कसगा,
 जनपद-कुशीनगर वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नि, रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राधिकारों के उत्पन्न होने के फलस्वरूप
 राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी गोरखपुर द्वारा पत्र दिनांक 17.07.2025 के माध्यम से ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा
 नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संरक्षित की गयी है।
 अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि ईट
 भट्टे को संचालन को रोका जाये।
 अत उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संरक्षित के दृष्टिगत मेसर्स मी कियवासिनी ईट
 उद्योग ग्राम-कुडवा उर्फ दिलीप नगर तहसील-कसगा, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम
 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अंतर्गत निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-
 1. कि मेसर्स मी कियवासिनी ईट उद्योग, ग्राम-कुडवा उर्फ दिलीप नगर तहसील-कसगा, जनपद-कुशीनगर के संचालन
 पर कि, यहाँ न सक्षम अधिकारियों ने यह अपेक्षा की जाये कि यह आगे ईट भट्टे मेसर्स मी कियवासिनी ईट उद्योग, ग्राम-कुडवा
 उर्फ दिलीप नगर तहसील-कसगा, जनपद-कुशीनगर को जारी खनन अनुज्ञा तथा स्थानीय लाइसेंस के साथ-साथ अन्य
 आवश्यक कारण बताओ नोटिस के सबसे में पूर्ण विवरण के साथ अपना पत्र 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करे, उत्तर प्राप्त न
 होने पर ईट भट्टे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित)
 के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ईट भट्टा एवं
 उसके संचालकों होगा
 2. कि मेसर्स मी कियवासिनी ईट उद्योग, ग्राम-कुडवा उर्फ दिलीप नगर तहसील-कसगा, जनपद-कुशीनगर के संचालन
 पर कि, यहाँ न सक्षम अधिकारियों ने यह अपेक्षा की जाये कि यह आगे ईट भट्टे मेसर्स मी कियवासिनी ईट उद्योग, ग्राम-कुडवा
 उर्फ दिलीप नगर तहसील-कसगा, जनपद-कुशीनगर को जारी खनन अनुज्ञा तथा स्थानीय लाइसेंस के साथ-साथ अन्य
 आवश्यक कारण बताओ नोटिस के सबसे में पूर्ण विवरण के साथ अपना पत्र 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करे, उत्तर प्राप्त न
 होने पर ईट भट्टे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित)
 के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ईट भट्टा एवं
 उसके संचालकों होगा

NCTAR
 Kishor Kumar Yadav
 Tahsil & Collector
 Campus-Patnaura
 Kushinagar
 Reg. No. 683/2023
 30.07.2025
 30.07.2025
 30.07.2025

प्रतिलिपि - विन्नाकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. जिल्लाधिकारी कुशीनगर।
- 2. पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
- 3. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, कुशीनगर।
- 4. जिला खनन अधिकारी कुशीनगर।
- 5. क्षेत्रीय अधिकारी, 3090 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टा स्वामी को प्राप्त कराते हुए वाचनी एवं जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में ईट भट्टे का अधिखन निरीक्षण कर आख्या एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सूक्ष्म संरक्षित 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

पर्यावरण अभियंता,
प्रभासी, (वृत्त-6)

SAILA
10/08/2025

पर्यावरण अभियंता,
प्रभासी, (वृत्त-6)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 T.C/12V, Vibhuti Khand Gantli Nagar, Lucknow -226010
 Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522 - 2720764
 Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ संख्या...113215/वृत्त-6/ईट भट्टा-866/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2025 01/05/25
 शि०..

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स माँ विध्यवासिनी ईट उद्योग,
 ग्राम-कुड़वा उर्फ दिलीप नगर, तहसील-कसया,
 जनपद-कुशीनगर (मो०-9838228311)

यह कि मेसर्स माँ विध्यवासिनी ईट उद्योग, ग्राम-कुड़वा उर्फ दिलीप नगर, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं०-एच.30904/वृत्त-6/ईट भट्टा-866/का०ब०नो०/गोरखपुर/2025 दिनांक 31.07.2025 के द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टे को दिनांक 02.08.2024 को प्राप्त करा दिया गया था। किन्तु ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड को कोई उत्तर/प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.07.2025 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 18.08.2025 को किया गया तथा निरीक्षण के समय ईट भट्टा का संचालन कार्य बन्द पाया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानानुसार ईट भट्टे का जिओ को-आर्डिनेट्स-26.69449 अक्षांश एवं 83.936967 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के पूरब दिशा में लगभग 1.0 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम- सिसई, अनुमानित आबादी लगभग 500 स्थित है। पश्चिम दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम गुरमिया, गोपाल टोला, अनुमानित आबादी 600 स्थित है। उत्तर दिशा में लगभग 900 मीटर की दूरी पर ग्राम कुड़वा उर्फ दिलीप नगर, अनुमानित आबादी लगभग 800 स्थित है। दक्षिण दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम- कुड़वा उर्फ दिलीप नगर का अक्षयबर टोला, अनुमानित आबादी लगभग 250 स्थित है। पश्चिम-उत्तर दिशा में लगभग 260 मीटर की दूरी पर मेसर्स वैरिस्टर सिंह ईट उद्योग, ग्राम कुड़वा उर्फ दिलीप नगर स्थित है। उक्त से स्पष्ट है कि ईट भट्टे का स्थल उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नहीं किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे की स्थापना किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों



का उल्लेख है।

यह कि उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 20.08.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश किये जाने की संस्तुति आख्या प्राप्त हुई है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग मेसर्स माँ विध्यवासिनी ईट उद्योग, ग्राम-कुड़वा उर्फ दिलीप नगर, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर के विलुद्ध यायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है-

1. यह कि मेसर्स माँ विध्यवासिनी ईट उद्योग, ग्राम-कुड़वा उर्फ दिलीप नगर, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स माँ विध्यवासिनी ईट उद्योग, ग्राम-कुड़वा उर्फ दिलीप नगर, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

Digitally signed by
Radhey Shyam
प्रतिबन्धक अभियन्ता, 25
16: प्रेमीसी, वृत्त-6

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर।
4. जिला खनन अधिकारी, कुशीनगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उद्योग को निर्गत बन्दी आदेश का 03 कार्यदिवस में अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।



(3)

उपयोगिता सूचना - 200 (9)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड - 5 भाग - 2
परपत्रा संख्या-43 ए (1) (प्रकार 417 एवं 478 संशोधित)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा SBI पुणे

1- जिम व्यक्ति (परनाम यदि आवश्यक हो) या श्री. ए. ए. मो. राजवार्ता इत इत

संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है कृती नग

उसका नाम 09DEVPJ29050220

2- पत्रा वर्ष 2024 - 2025

3- परीक्षण संख्या / पक्ष का नाम व तार संख्या जि.स. कोड 13 पुणे

(यदि आवश्यक हो)

4- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण लीनीयमन सुलभ = 152280

धनराशि किम हेतु जमा की जा रही है आवृत्ति सुलभ = 2000

तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की पल्लयम सुलभ = 15228

जा रही है। 169508

5- चालान की सकल राशि

6- चालान की निवल राशि

7- लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर

8- संस्था का 13 डिजिट कोड



मुख्य लेखा शीर्षक Kumar Kumar Yadav Treasurer & Collector Campus Padrauna Karnal Dist. No. 200/2008	उप मुख्य शीर्षक ★ 0 0	लघु शीर्षक 1 0 2	उप शीर्षक 0 1	द्व्यंशवार शीर्षक 0 0	धनराशि (अंकों में) 169508
					169508

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उप कोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या 7300-01-BA19025


दिनांक

अंकों में रु० 169508

शब्दों में रु०

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर व उपकोषागार/बैंक का मुहर स



Brick Chimney
83 936637

Brick Chimney

Brick Chimney

Legend

Brick Chimney

Measurement Note: Aerial distance (approx.) in meter.

NC
Klemor K...
Tanasil & Co
Campus
Kushin
No-50
GOVT. OF

NOTARY
 Kishor Kumar Yadav
 Tahasil & Collectorate
 Campus Padrauna
 Kumbhariya
 Dist. No. 84321
 M.C. NO. 5



Brick Chimney

26.799071, 83.632374

180m

Habitation

Note: Only one brick chimney has been visible on the above said location.

Measurement Note: Aerial distance (approx.) in meter.



BRITISH MAPS
Scale 1:50,000
Date 1961
Sheet 100/100

NCI
Klenor
Tahasil
Campus
Kus
Rat No
GOMT

Legend



Brick Chimney

Measurement Note: Aerial distance (approx.) in meter.

*
 Taneshi
 Camo
 K
 Paw
 2017



Legend

Brick Chimney

Measurement Note: Aerial distance (approx.) in meter.

Binduvar

Murget

Rampur

2689828

1500 m

1500 m

1500 m

1. M/s Janta Int Nirmata, Vill- Mahason, Post- Karkhana Mahua, Tehsil-Kasia, Distt- Kushinagar



Stack of brick kiln




Pathway

Latitude: 26.73204
Longitude: 84.011481
Elevation: 84.0822 5 m
Accuracy: 5.929 m
Time: 23-06-2025 18:02
Name: Janta int nirmata



Brick inside the Brik Kiln Chamber & Premises



Latitude: 26.731964
Longitude: 84.011473
Elevation: 88.5125 m
Accuracy: 6.702 m
Time: 23-06-2025 18:03
Name: Janta int nirmata

★
★
Anil Kumar Yadav
Tehsil & Collectorate
Campus-Padmauna
Kushinagar
Reg. No-0000/2000
GOVT. OF INDIA



Stack of brick kiln



Bricks

Latitude: 26.73204
Longitude: 84.011481
Elevation: 84.0822 5 m
Accuracy: 5.929 m
Time: 23-06-2025 18:02
Name: Janta int nirmata




Brick inside the Brik Kiln Chamber & premises

Kishor Kumar Yadav
 Tahasil Collector
 Campus-Padrauna
 Kushinagar
 Date: 23/06/2025
 Time: 11:30 AM
 Photo: KISHOR KUMAR YADAV
 Location: KUSHINAGAR

M/s. Radhey Krishna Enterprises, Vill and Post- Kudwa Urf Dilip Nagar, Tehsil- Kasia, Distt-
 Kushinagar



Stack of brick



Bricks

Latitude: 26.691204
 Longitude: 83.496553
 Elevation: 81.0825 m
 Accuracy: 7.438 m
 Time: 23-06-2025 14:52
 Note: RADHEY KRISHNA



Brick inside the Brik Kiln Chamber



Bricks

Latitude: 26.691204
 Longitude: 83.496553
 Elevation: 81.0825 m
 Accuracy: 7.438 m
 Time: 23-06-2025 14:52
 Note: RADHEY KRISHNA

4. M/s R.K.B. Int Udyog (RKB), Vill and Post- Kudwa Urf Dilip Nagar, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar




Stack of brick kiln and stored bricks



Pathway

5. M/s Barister Int Udyog, Vill and Post- Kudwa Urf Dilip Nagar, Tehsil-Kasia, Distt- Kushinagar

6.




Stack of brick kiln



Pathway & stored brick kiln





Brick inside the Brik Kiln Chamber



Pathway

6. M/s Jay Ambey Int Udyog, Vill- Gambhirpur, Post- Singhari, Tehsil-Captanganj, Distt- Kushinagar




Stack of brick kiln & stored briks



Pathway


NCTARY
Kumar Kumar Yadav
Tahsil & Collectorate
Campus-Padrauna
Kushinagar
Reg. No-6988/2008
GOVT. OF INDIA



Stack

Brick inside the Brik Kiln Chamber

7. M/s Ravindra Pratap Singh BKO, Vill- Jolahpurwa, Post- Barsaina, Tehsil-Hata, Distt- Kushinagar




Display Board

Pathway

NOTARY
Kishor Kumar Yadav
Tahasil & Collectorate
Campus-Padrauna
Kushinagar
Reg. No-5983/2008
GOVT. OF INDIA



Stack of brick kiln




Brick inside the Brik Kiln Chamber

8. M/s Shri Ram Singh HUF, Vill- Singha, Post- Kubersthan, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar



Stack of brik kiln



Pathway & stored briks

NOTARY
Kishor Kumar Yadav
Tahasil & Collectorate
Campus-Padrauna
Kushinagar
Reg. No-5983/2008
GOVT. OF INDIA

9. M/s Maa Vindhwasini Int Udyog, Vill and Post- Kudwa Urf Dilip Nagar, Tehsil- Kasia, Distt- Kushinagar




Stack




Pathway

NCTARY
Kishori Kumar Yadav
Tehsil & Collectorate
Campus-Padrauna
Kushinagar
Reg. No-5083/2008
GOVT. OF INDIA



NOTARY
Kishor Kumar Yadav
Tehsil & Collectorate
Campus-Padrauna
Reg. 2008
GOVT.





NCTARY
Kishor Kumar Yadav
Tahasil & Collectorate
Campus-Padrauna
Kushinagar
Reg. No-5983/2008
GOVT. OF INDIA